ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

अगस्त 2018 अंक 02

विषय सूची

अगस्त 2018
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- डिजिटलीकरण की राह और निजता की चिंता
- समावेशी विकास व साझी संवृद्धिः जोहांसबर्ग घोषणा
- एनआरसीः नागरिकता की मुहर
- आरटीआई संशोधन विधेयकः एक अवलोकन
- अर्थ ओवर शूट डेः संसाधनों की लूट का मापक
- एचआईवी एड्स नियंत्रणः माइल्स टू गो
- प्रार्थना का अधिकारः क्या केवल पुरूषों को उपलब्ध

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण सूचकांक 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. डिजिटलीकरण की राह और निजता की चिंता

चर्चा का कारण

डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर गठित बी एन श्रीकृष्णा समिति ने "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018" के मसौदे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। डेटा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार एक विस्तृत कानून लाने वाली है। इसी उद्देश्य के तहत व्यक्ति की निजता की सुरक्षा तथा उसके व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण प्रदान करने हेतु एक विस्तृत मसौदा तैयार करने के लिए पिछले वर्ष बी एन श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया था। अभी इस समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपी है। इस व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 के मसौदे को कानून बनने के लिए विस्तृत चर्चा और सुधार प्रक्रिया से गुजरना होगा इसके पश्चात यह बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में पास होने के बाद ही यह कानून का रूप लेगा।

पृष्ठभूमि

आज की डिजिटल दुनियाँ में व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा और उसकी निजता का मामला आपस में जुड़े हुए हैं। यदि किसी भी तरह से व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को लीक किया जाता है तो यह उस व्यक्ति की निजता का हनन है क्योंकि व्यक्ति की निजता उसका मूल अधिकार है और ज्ञात हो कि व्यक्ति की निजता को मूल अधिकार मानने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया चली है। निजता के अधिकार को लेकर बहस की शुरूआत आधार कार्ड के मामले को लेकर और अधिक तीव्र हो गई है। दरअसल निजता के अधिकार का पहला मामला वर्ष 1954 में एम. पी. शर्मा मामले में 8 जजों की और वर्ष 1962 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की खण्डपीठ के समक्ष आया था और तब इन दोनों पीठों ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। इसके पश्चात वर्ष 2017 में निजता के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए 9 जजों की खण्डपीठ बैठाई थी। चूंकि वर्ष 2013 में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी एवं इसमें कहा गया था कि क्या आधार मामले में निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है? और क्या निजता एक मौलिक अधिकार है? चूंकि संविधान का भाग 3 जो कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकार मानता है, में निजता के अधिकार का जिक्र नहीं किया गया है। इन सभी बातों को संज्ञान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। इसके बाद व्यक्ति की निजता के अधिकार को और मजबूत बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान डिजिटल व्यवस्था में एक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पश्चात ही सरकार ने बी. एन. श्रीकृष्णा समिति का गठन किया था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 के मुख्य बिंदु

यह रिपोर्ट भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मजबूत करने और व्यक्तियों को निजता संबंधी अधिकारों को मजबूती प्रदान करने पर जोर देती है। रिपोर्ट में मुख्यत: 3 हितधारकों को शामिल किया गया है जिनमें पहला 'नागरिक' दूसरा 'राज्य' और तीसरा 'उद्योग' है। इस बिल का मसौदा "व्यक्ति की निजता का अधिकार मूल अधिकार है" को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक सामूहिक संस्कृति निर्मित करना आवश्यक है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हो तथा आज की डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का सम्मान करती हो, साथ ही सशक्तिकरण प्रगति तथा नवाचार को भी सुनिश्चित करती हो।

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी बड़ी कंपनी या उद्योग समूह को भारतीय नागरिकों के महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करनी है तो भारत में ही स्थित प्रोसेसिंग केंद्र से करनी पड़ेगी किसी अन्य देश में स्थापित व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग ऐजेंसी से नहीं।
- हालांकि साधारण व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग किसी बड़ी कंपनी द्वारा विदेशों में स्थित केंद्र द्वारा की जा सकती है। लेकिन इस व्यक्तिगत डेटा की एक प्रतिलिपि उस कंपनी द्वारा सरकार को सौंपनी होगी। यहाँ एक बात समझ लेना होगा कि व्यक्ति के क्रिटिकल (महत्वपूर्ण) डेटा के अंतर्गत उसकी बायोमीट्रिक सूचनाएँ, जेनेटिक सूचनाएँ स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएँ इत्यादि सम्मिलित की जाती हैं। क्रिटिकल डेटा के संदर्भ में इस बिल में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा ही यह बताया जाएगा कि किस तरह का व्यक्तिगत डेटा महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) डेटा की सूची में आएगा। इसके अलावा साधारण व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत नाम, पता आदि सम्मिलित होता है।
- अगर इस नियम का कंपनी द्वारा उल्लंघन होता है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम के उल्लंघन पर कंपनी को 15 करोड़ या उस कंपनी का विश्व भर में जितना टर्नओवर है उसका 4%, इसमें से जो अधिक हो कंपनी से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा।
- इसके अलावा कोई कंपनी डेटा सुरक्षा के उल्लंघन पर शीघ्र कार्यवाही नहीं करती है तो उस अवस्था में भी उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा जिसकी रकम 5 करोड़ या कंपनी के विश्व भर के टर्नओवर का 2% में से जो अधिक हो उतनी होगी।
- इस बिल के मसौदे में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति के संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग से पहले उसकी सहमति लेना

आवश्यक है। कंपनी को साफ-साफ शब्दों में व्यक्ति को यह सूचित करना पड़ेगा कि वह उसका डेटा किस कार्य के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही कंपनी के व्यक्तिगत डेटा के संबंध में दिशा निर्देश साफ-साफ शब्दों में होने चाहिए।

इस बिल के मसौदे में कहा गया कि यदि अनामीकरण की प्रक्रिया को लागू करके डेटा की प्रोसेसिंग की गई है तो इस एक्ट के प्रावधान उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे। लेकिन अनामीकरण की कार्यविधि डेटा संरक्षण अथॉरिटी के द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के तहत होनी चाहिए।

"अनामीकरण से तात्पर्य व्यक्ति को किसी नाम की जगह कोडवर्ड (संकेताक्षर) द्वारा चिह्नित किये जाने से है।"

इसके साथ ही मसौदा विधेयक में व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तथा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया कि एक छः सदस्यीय डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण होना चाहिए और इस अथॉरिटी के अध्यक्ष का चयन एक समिति द्वारा किया जाना चहिये जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई सदस्य या कैबिनेट सचिव शामिल हों। मसौदे में कहा गया है कि डेटा प्रदाता को डेटा प्रोसेसर द्वारा व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित या रोकने का अधिकार होगा। डेटा गोपनीयता पर समिति ने बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिये अलग और अधिक कठोर मानदंडों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। कंपनियों को कुछ प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग जैसे- व्यवहार संबंधी निगरानी, ट्रैकिंग, लक्षित विज्ञापन और किसी अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये क्योंकि यह बच्चों के हित में नहीं है। समिति के मुताबिक कंपनी पर किसी बच्चे के डेटा को सही ढंग से संसोधित करना माता-पिता की सहमति पर आधारित होना चाहिये।

यदि देखा जाए तो न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट डेटा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जिस प्रकार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए इस बिल में बहुत से मजबूत आधार प्रदान किए गए हैं।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 की सीमाएँ

वर्ष 2017 में पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों के बेंच ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया था। पहला मूल अधिकार के लाभार्थी के तौर पर व्यक्ति को निजता की सुरक्षा दी जाएगी। दूसरा आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात सरकार आर्थिक विकास के नाम पर निजता के अधिकार को हनन नहीं कर सकती है। इस पर सरकार द्वारा असहमति व्यक्त की गई थी। तत्पश्चात बी.एन. श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दिए गए मसौदे पर यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि इस बिल के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों से सुसंगत नहीं हैं। क्योंकि यह बिल संभावित रूप से राज्य को व्यक्ति के डेटा प्रोसेसिंग के लिए छूट प्रदान करता है अर्थात सरकार अपनी तरफ से आर्थिक विकास या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित समाज की भलाई के कार्य के आधार पर डेटा लीक करती है तो उसके विरुद्ध कोई उचित प्रतिबंध इस बिल में दृष्टिगत नहीं होता है।

इस आधार पर विशेषज्ञों द्वारा श्रीकृष्णा समिति पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका यह मसौदा संविधान के आधारभूत संरचना के विरूद्ध है क्योंकि हमारी आधारभूत संरचना के अनुसार मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तुलना में अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके साथ ही पिछले वर्ष 9 जजों की बेंच द्वारा दिए गए निर्णय में भी कहा गया था कि प्रस्तावना की भावना "हम भारत के लोग" के तहत सब लोगों ने मिलकर राज्य को बनाया है और राज्य का काम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अलावा कहा जाता है कि मसौदे की भाषा भी बहुत ही जटिल है जिससे इसके दुरूपयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है इसके साथ ही राज्य लीगल प्रोसेसिंग, जर्नलिज्म व शोध कार्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रोसिस कर सकती है जिस वजह से कई विचारकों द्वारा इस बिल को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा एक मुद्दा इस रिपोर्ट में सूचना के अधिकार (आरटीआई) को लेकर है और कई विचारकों राजनीतिज्ञों का कहना है कि संशोधन द्वारा आरटीआई कानून को कमजोर बनाया जा रहा है और इसके बाद सरकार से जानकारी हासिल करना कठिन हो जाएगा। डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच एक अंतर्निहित तनाव है जिसे समाप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

आगे की राह

अभी इस मसौदा विधेयक पर व्यापक संसदीय परामर्श किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट का मसौदा कानून अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं और मंत्रिमंडल के साथ-साथ संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया के माध्यम से संसद में लाया जाएगा और संसद में पास होने के बाद ही यह कानून का रूप लेगा। अतः यह बिल अभी भी कई स्तर पर सुधार प्रक्रिया में सम्मलित होगा और निश्चित तौर पर इसके विवादित प्रावधानों को सुधारा जाएगा इसके अलावा रिपोर्ट में हालिया आरटीआई कानून का भी बारीकी से अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से धारा 8 (1) (j) का, जो निजता के अधिकार और किसी व्यक्ति की निजता भंग होने पर सूचना देने से मना करने का प्रावधान करती है। लोक सेवकों ने कई बार इस धारा का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना किया है। इस मामले में रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि निजता संबंधी अधिकारों के लिये आरटीआई कानून के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरटीआई कानून में विशेष रूप से उन परिस्थितियों का जिक्र किया जाना चाहिये जिसमें निजी जानकारी के खुलासे और किसी व्यक्ति की निजता के बीच आनुपातिक प्रतिबंध हो। इसके साथ ही समिति ने व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिये दो स्तंभों की पहचान की है। पहला "डेटा न्यूनीकरण" (इकाई को केवल आवश्यक डेटा ही एकत्र करना चाहिये) और दूसरा "उद्देश्य का विवरण" (उद्देश्य का खुलासा होना चाहिये कि डेटा क्यों एकत्रित किया जा रहा है। अतः इन सब प्रावधानों के आधार पर निश्चित ही कहा जा सकता है कि यह बिल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है और वैश्विक स्तर पर भी यह एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. समावेशी विकास व साझी संवृद्धिः जोहांसबर्ग घोषणा

चर्चा का कारण

हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10 वां संस्करण जोहॉन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 25-27 जुलाई, 2018 को संपन्न हुआ। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जिसमें सभी ब्रिक्स देशों के प्रमुख शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन का विषय 'अफ्रीका में ब्रिक्सः चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास एवं साझी समृद्धि के लिये सहयोग' (BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution) है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। इस बार ब्रिक्स देशों के अलावा निम्न देशों ने भाग लिया- रवांडा, यूगांडा, टोगो, जाम्बिया, नामीबिया, सेनेगल, गैबन, इथोपिया, अंगोला एवं अफ्रीकी यूनियन।

पृष्ठभूमि

ब्रिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 2001 में इनवेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री 'जिम ओ निल' ने अपने 'ग्लोबल इकोनॉमी पेपर' में किया था। इस इस पेपर में ये अनुमान लगाया गया कि आने वाले समय में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का सामूहिक तौर से विश्व के अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होगा। इस पेपर में यह भी कहा गया कि ब्रिक अगले 50 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी।

ब्रिक्स दुनिया की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें B-ब्राजील, R-रूस, I-इंडिया, C-चीन और S-साउथ अफ्रीका शामिल हैं। जुलाई, 2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में इस ग्रुप को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सितंबर 2006 में न्यूयार्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक के मौके पर रूस, भारत, चीन और ब्राजील यानी ब्रिक समुह के विदेशमंत्रियों की पहली बैठक हुई और इसे फॉर्मल ग्रुप बनाया गया। पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को हुआ जिसमें ब्रिक को मूर्तरूप दिया गया। 24 दिसंबर, 2010 को दक्षिण अफ्रीका ब्रिक समूह का सदस्य राष्ट्र बना। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया।

उद्देश्य

ब्रिक्स की मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सहायता करना है। ये देश एक-दूसरे के विकास के लिए वित्तीय, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहायता करते हैं। ब्रिक्स देशों के पास खुद का एक बैंक भी है। इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका कार्य सदस्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

जोहॉन्सबर्ग घोषणापत्र-2018 के मुख्य बिंदु

- घोषणापत्र में कट्टरपंथ से निपटना, आतंकवादियों के वित्त पोषण के माध्यमों को अवरुद्ध करना, आतंकी शिविरों को तबाह करना और आतंकी संगठनों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना शामिल है।
- ब्रिक्स देशों ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आतंकी कृत्यों को अंजाम देने वालों, उनके साजिशकर्ताओं या उन्हें मदद देने वालों को निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- घोषणापत्र में कहा गया कि हम सभी ब्रिक्स राष्ट्रों से आतंकवाद से लड़ने के लिए एक समग्र रुख अपनाने का आह्वान करते हैं जिसमें कट्टरपंथ, विदेशी आतंकी लड़ाकों की भर्ती, आतंकवादियों के वित्तपोषण के स्रोतों एवं माध्यमों को अवरुद्ध करना, आतंकी शिविरों को तबाह करना और उनके द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग से निपटना शामिल है।
- शांति कार्यों के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना।
- ब्रिक्स देशों में टीकाकरण के लिए टीका अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
- अनुसंधान और विकास के लिए नए टीकों की खोज।
- ब्रिक्स जेंडर और महिला मंच की स्थापना तथा महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करना जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
- चौथी औद्योगिक क्रांति एवं ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी के लिए रणनीति बनाना जिसका उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा प्राप्त अवसरों का फायदा उठाना है।
- डिजिटल तकनीकी को आपस में साझा करना ताकि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी ब्रिक्स देशों को मिल सके।
- ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स पर्यटन ट्रैक की स्थापना।

ब्रिक्स की उपलब्धियाँ एवं महत्व

1. ब्रिक्स देशों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर बनी सहमति को मूर्त रूप दें। यह 16 देशों (10 आसियान राष्ट्र और छह एशिया-पैसिफिक देश) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर सहमति मिलने के बाद न सिर्फ ब्रिक्स देशों के व्यापार को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कुशल श्रमिक व पेशेवरों को भी रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे।
2. चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा भी ब्रिक्स सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा अपने भाषण में की थी। अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ब्रिक्स देश आने वाले वर्षों में कई सारे बदलावों के गवाह बनेंगे।
3. चौथी औद्योगिक क्रांति में कौशल व डिजिटल विकास का लाभ सभी देशों को मिलेगा। इसका भारत को भी काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर सर्विस में तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी कई सेवाएं अमेरिकी और पश्चिमी देशों को मिलती रही हैं। इसके साथ-साथ अब हम ब्रिक्स के दूसरे सदस्यों और विकासशील देशों के साथ भागीदारी कर आगे बढ़ सकते हैं।
4. ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद भी एक बड़ा मसला था जहाँ आतंकवाद के खिलाफ हरसंभव लड़ाई लड़ने पर भी सहमति बनी है। ज्ञातव्य है कि अभी तक चीन जैसे सदस्य देश पाकिस्तान को मदद देकर परोक्ष रूप से इस लड़ाई में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे थे। मगर जिस तरह से अब बीजिंग पर आतंकी जमातों के हिमायती होने का आरोप लगने लगा है, इससे मौजूदा तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है।
5. 'बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो' पर सहमति बनना भी गौर करने लायक है इसके तहत एक-दूसरे

देशों की अच्छी आदतों या कार्यक्रमों को अपने-अपने देशों में अपनाने की बात कही गई है। जैसे, भारत से निकला योग दुनिया के तमाम देशों में फैला है। यह अच्छी बात है कि 'नॉलेज शेयरिंग' (ज्ञान साझा करना) की तरफ ब्रिक्स देशों ने गंभीरता दिखाई है। इसकी वकालत भारत हमेशा से करता रहा है।

6. पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स देशों का समूह दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। इसमें शामिल देश दुनिया की इकतालीस फीसद आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो इन पांचों देशों की साझा अर्थव्यवस्था चालीस लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। इन देशों के पास साढ़े चार लाख करोड़ डॉलर का साझा विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी ब्रिक्स ऐसे ताकतवर समूह के रूप में मौजूद है जो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के लिए चुनौती पेश कर रहा है जो एक बड़ी उपलब्धि है।
7. पिछले 10 वर्षों में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। ब्रिक्स के सदस्य देशों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के महाद्वीप देश शामिल हैं। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 22.53 फीसदी हिस्सा है तथा विश्व का 18 प्रतिशत व्यापार यही देश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में इन देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास में 50 प्रतिशत भागीदारी निभाई है।
8. ब्रिक्स ने अपने सदस्य देशों को अपनी-अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है। दुनिया को बहु ध्रुवीय बनाने के लिए भी ये मंच महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एक वक्त था जब दुनिया में पश्चिमी देशों का सामरिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दबदबा था लेकिन अब विश्व बदल चुका है। चीन जहाँ आर्थिक और सैन्य दृष्टि से अमेरिका को चुनौती दे रहा है वहीं रूस भी अपना पुराना गौरव हासिल करने में जुटा है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका अत्यंत महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है।

ब्रिक्स और भारत

भारत वर्तमान समय में न केवल दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि पूरा विश्व भारत को एक बड़ा बाजार और आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के रूप में देख रहा है। भारत ने इस मंच से खुद को एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश के तौर पर पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल की है। भारत को सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी करने में मिली है। हाल के वर्षों में सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत व चीन के रिश्तों में खटास आयी है तथा पाकिस्तान इसका कई बार फायदा उठाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ब्रिक्स मंच के माध्यम से भारत ने चीन से आपस के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में उठाया है। तथा इनको हल करने की कोशिश की है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को ब्रिक्स ने स्वीकार किया जो भारत की बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। ये बैंक वैश्विक बैंकिंग संस्थाओं को चुनौति देने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। भारत अपने साथ-साथ ब्रिक्स देशों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भारत और ब्राजील के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, शिक्षा और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं जिनका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ब्रिक्स का नया सदस्य दक्षिण अफ्रीका भी भारत का प्रमुख वाणिज्यिक सहयोगी बनकर उभरा है।

दक्षिण एशिया में चीन और भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। रूस के साथ भारत के पुराने और गहरे रिश्ते रहे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिकी दबाव के बावजूद भी भारत तथा रूस के रिश्तों की मजबूती में कोई कमी नहीं आयी है।

ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं। भारत और चीन ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता देश हैं, वहीं रूस और ब्राजील ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देशों में हैं, जिसका लाभ भारत उठा सकता है।

भारत द्वारा उठाये गये मुद्दे

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनकी धरती से कोई भी आतंकी गतिविधि न होने पाए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- सहयोगी ब्रिक्स नेताओं के साथ मोदी ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी के महत्व, कौशल विकास और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग पर एक बेहतर दुनिया बनाने पर अपने विचार साझा किए।
- अपने समापन संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को साझा करने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

- आर्थिक मुद्दों को छोड़ दें तो ब्रिक्स देशों के बीच बड़े मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसके अलावा भविष्य में चीन और रूस में भी प्रतिस्पर्धा के आसार हैं।
- भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक प्रमुख चुनौती है।
- ब्रिक्स देश अपने-अपने क्षेत्र में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं जैसे एशिया में चीन व भारत; मध्य एशिया में रूस और चीन आदि।
- इतना ही नहीं अभी इन पाँच देशों के बीच ब्रिक्स को औपचारिक शक्ल देने पर भी मतांतर है। मसलन ब्रिक्स का सैक्रेटेरिएट बनाने पर भी फिलहाल कोई सहमति नहीं हो पाई है।
- इसके साथ ही इस विषय पर भी कोई साफ विचार नहीं है कि समूह में नए सदस्यों को कैसे और कब जोड़ा जाए।
- भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये देश अमेरिका के साथ अपने नजदीकी संबंधों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी समूह में चीन भी है जहाँ साम्यवादी शासन है। जहाँ गैर-कम्यूनिस्ट राजनीतिक गतिविधियों के लिए सहनशीलता ना के बराबर है। ऐसे में अलग-अलग राजनैतिक विचारधाराओं वाले देशों के बीच सामंजस्य बना रहना एक चुनौती है।
- ब्राजील, चीन की मुद्रा युआन को जानबूझ कर सस्ता रखे जाने पर चिंता व्यक्त कर चुका है। जबकि चीन ये बात साफ कर चुका है कि युआन का मुद्दा ब्रिक्स में बहस के लिए नहीं उठाया जा सकता, आदि।

आगे की राह

- ब्रिक्स संगठन के सभी सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की गिनती उभरती आर्थिक ताकतों में होती है और इन्हें आर्थिक उदारीकरण का खासा लाभ भी मिला है। मगर अब अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों की 'संरक्षणवादी नीतियों' का शिकार यही देश सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक ये देश वैश्वीकरण से मिलने वाले फायदों का ही गुणा-भाग कर रहे थे। मगर अब जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है, यूरोप की आर्थिक प्रगति ठहर चुकी है, इटली-यूनान जैसे देश मुश्किल हालात में हैं और पश्चिमी देश तमाम तरह की कारोबारी बंदिशें लगा रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स आगे बढ़कर इन चुनौतियों को स्वीकारे और अपने लिए नई राह तलाशे।
- यूरोप को साथ लाने की कोशिश ब्रिक्स देशों को छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वह अभी संरक्षणवाद की कितनी भी वकालत क्यों न कर रहा हो।
- ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत ने औद्योगिक और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से नई और बेहतर दुनिया बनाने की जो बात कही है, वह अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए है। भारत के प्रधानमंत्री का यह आह्वान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल तकनीक ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की नींव है।
- तीसरी दुनिया के गरीब देश जिस विकास की बाट जोह रहे हैं, उनका सपना डिजिटल और औद्योगिक तकनीक के बिना पूरा नहीं हो सकता। डिजिटल क्रांति ने विकास और निवेश के जो दरवाजे खोले हैं, उसमें तीसरी दुनिया के देशों को भागीदार बनाना वक्त की जरूरत है। इसीलिए ब्रिक्स को कृत्रिम बौद्धिकता यानी रोबोट की दुनिया, औद्योगिक तकनीकी विकास तथा कौशल विकास जैसे पक्षों पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।
- सबसे बड़ी बात यह कि इन पांचों राष्ट्रों के पास विशाल बाजार है। इसलिए ब्रिक्स देशों को आपसी सहयोग के अलावा ब्रिक्स को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए ब्रिक्स मंच से प्रभावी तरीके से मांग उठाने की आवश्यकता है।
- ब्रिक्स देशों की कोशिश मुक्त व्यापार की संकल्पना को एशिया में साकार करने की भी होनी चाहिए। इससे 'ट्रेड वार' के गति पकड़ने पर ब्रिक्स देश ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

3. एनआरसीः नागरिकता की मुहर

चर्चा का कारण

हाल ही में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है। इस मसौदे को 30 जुलाई को जारी किया गया। इस नागरिक रजिस्टर में असम के 3.29 करोड़ लोगों ने भारत का नागरिक होने के लिए आवेदन किया था जिसमें 40 लाख लोगों के नाम को छोड़कर सभी को भारत का मूल निवासी मान लिया गया है। इन 40 लाख लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अभी और समय दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इससे पहले वर्ष 2017 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट जारी किया गया था जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनों में से 1.9 करोड़ लोगों को कानूनी रूप से भारत का मूल नागरिक माना गया था और जुलाई में जारी किये गये इस अंतिम मसौदे में 2.89 करोड़ लोगों को भारत का मूल निवासी मान लिया गया है।

परिचय

1955 के नागरिक चार्टर अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है।

सिटिजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14ए में 2004 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत हर नागरिक के लिए अपने आप को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य बनाया गया था। इसी पर एनआरसी की तरफ पहला कदम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर। असम और मेघालय को छोड़कर पूरे देश के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर को 2015-16 में अपडेट किया गया था। इसके लिए आंकड़े 2011 की जनगणना के साथ ही जुटाए गए थे। यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर असम में वैध तरीके से रह रहे नागरिकों का रिकॉर्ड है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें यहां के प्रत्येक गांव में रहने वाले लोगों के नाम और संख्या दर्ज की गई। फिलहाल इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें उन लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है, जिनका नाम 1951 में तैयार हुए एनआरसी में या 24 मार्च, 1971 तक की रात तक निर्वाचन सूची में दर्ज है या फिर ऐसे किसी सरकारी दस्तावेज में उनका नाम दर्ज हो, जो उन्हें 24 मार्च, 1971 के पहले प्रदान किया गया हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए तीन करोड़ लोगों का डाटा बेस बनाने का काम गुवाहाटी स्थित एक आइटी कंपनी ने किया। कंपनी के एमडी अभिजीत भुयन ने बताया कि प्रत्येक सेट को एक अनूठा कोड दिया गया था। ये अद्वितीय विरासत डाटा कोड फैमिली ट्री का आधार होगा।

पृष्ठभूमि

असम में आजादी के बाद 1951 में पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना था। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब पूर्वी बंगाल और असम के रूप में एक नया प्रांत बनाया गया था। उस समय असम को पूर्वी बंगाल से जोड़ा गया था। जब देश का बंटवारा हुआ तो ये डर भी पैदा हो गया था कि कहीं ये पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़कर भारत से अलग न कर दिया जाए। उस समय गोपीनाथ बोर्डोली की अगुवाई में असम विद्रोह शुरू हुआ जो भारत के पक्षधर थे। परिणामस्वरूप असम भारत में बना रहा लेकिन उसका सिलहट क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। 1950 में असम देश का घटक राज्य बना। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 की जनगणना के बाद तैयार हुआ था और इसमें तब के असम के रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में चाय बागानों में काम करने और खाली

पड़ी जमीन पर खेती करने के लिए बिहार और बंगाल के लोग असम जाते रहते थे, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों का विरोध बाहरी लोगों से रहता था। पूर्वी पाकिस्तान और बाद के बांग्लादेश से असम में लोगों के अवैध तरीके से आने का यह सिलसिला जारी रहा। हालात तब ज्यादा खराब हुए जब तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थितियां इतनी हिंसक हो गई कि वहां रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तबकों की एक बड़ी आबादी ने भारत का रुख किया। माना जाता है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी कार्रवाई शुरू की तो करीब 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश की सीमा पारकर असम में शरण ली। हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि शरणार्थी चाहे किसी भी धर्म के हों उन्हें वापस जाना होगा। 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया तब हिंसा कम होने पर बांग्लादेश से भारत आए बहुत सारे लोग अपने वतन लौट गए, लेकिन लाखों की संख्या में लोग असम में ही रुक गए। इसके अलावा 1971 के बाद भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का असम में आना जारी रहा। जनसंख्या में होने वाले इस बदलाव ने मूलवासियों में भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। तब असम में दो संगठनों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो असम की सीमाओं को सील करे, बाहरी लोगों की पहचान करे और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, असम में कोई चुनाव न करवाया जाए। इसके अलावा आंदोलन करने वालों ने ये भी मांग रखी कि 1961 के बाद राज्य में जो भी लोग आए हैं, उन्हें उनके मूल राज्य में वापस भेज दिया जाए। इसके पश्चात 15 अगस्त 1985 को केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना गया। इसके तहत 1951 से 1961 के बीच आये सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया गया। तय किया कि जो लोग 1971 के बाद असम में आये थे, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें नागरिकता के अन्य सभी अधिकार दिए गए थे। 1985 में असम में राजीव गांधी के साथ जो समझौता लागू हुआ था, उसकी समीक्षा का काम 1999 में केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार ने शुरू किया। 17 नवंबर 1999 को केंद्र सरकार ने तय किया कि असम समझौते के तहत एनआरसी को अपडेट करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपये का फंड रखा गया और पांच लाख रुपये जारी भी कर दिए गए थे। इसके बाद 5 मई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फैसला लिया कि एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए। इसके बाद भी इस पर कार्य नहीं किया गया और तब असम पब्लिक वर्क नाम के एक एनजीओ सहित कई अन्य संगठनों ने 2013 में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में यह काम शुरू हुआ और 2018 जुलाई में फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया।

एनआरसी में किसे शामिल किया जाएगा

असम देश का ऐसा पहला राज्य है जिसका एनआरसी बनाया गया है। अब इस एनआरसी के मुताबिक निम्न बिंदुओं के तहत नागरिकता का निर्णय लिया जाएगा-

- इसमें 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों को भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा,
- 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आकर बसे आप्रवासियों को पंजीकरण के पश्चात 10 वर्षों तक और रहने के बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी, एवं
- 25 मार्च 1971 के बाद आए सभी विदेशी अवैध आप्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा।

चुनौतियाँ

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वास्तव में असम के लिए 1951 की जनगणना के दौरान बताए गए सभी नागरिकों के विवरण का रिकार्ड रखने वाला एशिया का पहला इस प्रकार का रजिस्टर होगा। हालांकि इसके वर्तमान में नए रूप में सामने आने के पश्चात कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। पहली चुनौती इस मामले के राजनीतिकरण की है। चूंकि यह मामला अभी का नहीं है। वर्ष 1951 में एनआरसी निर्माण के बाद से ही यह मामला राजनीतिक पार्टियों का राजनैतिक साधन बना हुआ है। जबकि इस समस्या के समाधान के लिए और आप्रवासियों के निर्वासन को लेकर कोई उचित कदम असम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। दूसरा इसमें एनआरसी के समन्वयक प्रदीप हालेजा ने नागरिक और अवैध आप्रवासियों की पहचान के लिए फैमिली ट्री प्रक्रिया को अपनाया है। इसमें लोगों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक ट्री बनाकर बताना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें अवैध आप्रवासी घोषित किया जा सकता है जबकि यह प्रक्रिया लोगों के लिए आसान नहीं है। तीसरी समस्या निर्वासन को लेकर है। चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है जिसमें बांग्लादेश अपने नागरिकों को अपने देश में आने की अनुमति देता हो बल्कि वह हमेशा अपने देश से भारत में हो रहे घुसपैठ की समस्या को नकारता रहा है। अतः जब अंतिम सूची भारत द्वारा प्रस्तुत की जाएगी तब ऐसे नागरिकों का क्या होगा जो एक राज्य रहित नागरिक कहे जाऐंगे?

एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद लोग स्टेटलेस हो गए हैं, अर्थात् वे किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा बना हुआ है। जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे भारतीय नागरिकता समाप्त होने के बाद वे न तो पहले की तरह वोट दे सकेंगे और न इन्हें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा एवं अपनी ही संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वे दूसरे लोगों का निशाना बनेंगे जिससे अराजकता पैदा होगी। हालांकि भारत सरकार ने कहा है जिन लोगों का नाम एनआरसी सूची में नहीं आया उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन इससे वहाँ के लोगों में बड़ी संख्या में नाराजगी है क्योंकि असम में सिर्फ बांग्लादेश से ही आप्रवासी नहीं आए कुछ लोग भारत के ही बिहार, राजस्थान आदि राज्यों से जाकर असम में रह रहे थे जिनको भी अवैध आप्रवासी सूची में शामिल किया गया है। जबकि ये तो हिंदी भाषी हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार असम में 21 लाख हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उससे एनआरसी को अंजाम तक पहुंचाने वाले अफसरों की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि एनआरसी का जमीनी स्तर पर काम किस तरह हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा है। कुछ अफसरों की लापरवाही के चलते आज भारत के मूल नागरिकों के सामने इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है जहां एक वास्तविक नागरिक को अब एनआरसी सेवा केंद्र में न जाने

कितने चक्कर काटने पड़ेंगे इस तरह 30 जुलाई को जारी की गई एनआरसी की फाइनल सूची में अब कई कमियां सामने आने लगी हैं। भारतीय नागरिकता से जुड़ा ये मुद्दा अब और पेचीदा होता नजर आ रहा है क्योंकि सालों से यहां बसे हिंदी भाषी लोगों का नाम वैध सूची में शामिल नहीं किए जाने से ये लोग न केवल परेशान हैं, बल्कि आगे की कार्रवाई को लेकर चिंतित भी हैं।

समाधान

अवैध आप्रवासियों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निर्वासन नहीं हो सकता और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के मध्य एक विधिवत समझौता हो। किसी समझौते की अनुपस्थिति में निर्वासन नहीं किया जा सकता अर्थात इसके लिए सरकार को बांग्लादेश सरकार से कोई ऐसा समझौता करना चाहिए जो इस समस्या का उचित हल निकाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2014 के आदेश द्वारा ऐसा कहा था। चूंकि अवैध आप्रवासियों का निर्वासन एक जटिल मुद्दा है इसलिए कुछ विशेषज्ञों द्वारा एक रास्ता यह भी सुझाया जाता है कि इन अवैध आप्रवासियों को सभी नागरिकता अधिकारों से वंचित करते हुए मानवतावादी विकल्प के आधार पर देश में ही रहने दिया जाए।

हालांकि यह असम के लोगों के द्वारा सहज स्वीकार्य नहीं होगा इसके अलावा उन लोगों के लिए भी उचित नहीं होगा जो वर्ष 2016 के नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि उन सभी शरणार्थियों (मुसलमानों को छोड़कर) को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी जो अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हैं। चूंकि आज की दुनिया में निर्वासन एक तरफा मामला नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की नागरिकता बांग्लादेश के द्वारा सिद्ध की जा सकती है उनको वापस भी भेजा जा सकता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक कम है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी यह बात कि भारत बांग्लादेश सरकार के साथ निर्वासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक चर्चाएं प्रारंभ करे, एक सार्थक पहल साबित हो सकती है।

इसके अलावा भारत यदि नागरिकता संशोधन विधेयक वर्ष 2016 को पास करता है तो समस्या को कुछ कम किया जा सकता है क्योंकि इसके तहत हिंदु, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा। अतः उनको इस आधार पर भारत में रहने दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

अद्यतन एनआरसी का प्रकाशन वास्तव में एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह असम में अवैध आप्रवासी की संख्या को बेवजह की अटकलों से मुक्त कर आप्रवासियों की संख्या को सुनिश्चित करता है और इस तरह यह राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी मुद्दे के रूप में फायदा लिए जाने से बचाता है। हालांकि अवैध आप्रवासियों से निपटने के तरीके के बारे में किसी भी स्पष्ट नीति की अनुपस्थिति ने असम में रहने वालों के दिमाग में द्वंद्व की भावना पैदा की है। इसलिए केंद्र सरकार को असम के लोगों के दिमाग से इन आशंकाओं को दूर करने और एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी स्टेटलेसनेस को खत्म करना चाहती है लेकिन दुनिया में करीब एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं है। ऐसे में भारत के लिये हालिया स्थिति असहज करने वाली होगी। नागरिकता के इस मामले ने असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहस छेड़ दी है। असम की राजनीति में यह मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है। अब आवश्यकता इस मामले को गंभीरता के साथ सुलझाये जाने की है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

4. आरटीआई संशोधन विधेयकः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक-2018 को पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन और उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा तय करने का प्रावधान रखा गया है। आरटीआई एक्ट के अनुच्छेद 13 और 15 में केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएँ निर्धारित करने की व्यवस्था दी गई है। हालांकि आरटीआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन के जरिये सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

क्या है सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (राईट टू इन्फॉरमेशन), सूचना पाने का अधिकार है जो इस कानून को लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपनी कार्य और शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाता है तथा शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

इस अधिनियम के तहत आवेदन करके कोई व्यक्ति किसी विभाग से कोई भी जानकारी माँग सकता है और अधिकारी/विभाग माँगी गई सूचना को उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य है, बशर्ते वह सूचना माँगने के तरीके की शैली में हो। यह बाध्यता/जबाबदेहिता ना केवल पारदर्शिता की गारंटी है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन का तथ्य भी निहित है। वास्तव में यह अधिकार आम आदमी के लिए आशा की किरण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी लेकर आया है। इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिक अपनी आजादी को संपूर्णता और मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया, जबकि फ्रांस ने 1978, कनाडा ने 1982, मैक्सिको ने 2002 तथा भारत ने 2005 में लागू किया। विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश है, जिसके संविधान में सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की है। इस मामले में कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत क संविधान उतनी आजादी प्रदान नहीं करता जितना कि स्वीडन। सूचना मांगने वाले को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया स्वीडन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत में अलग-अलग है। स्वीडन में सूचना मांगने वाले को तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। सूचना प्रदान करने लिए फ्रांस और भारत में 1 माह का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि भारत में जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाओं के मामले में 48 घण्टे

का समय दिया गया है। कनाडा 15 दिन तथा मैक्सिको 20 दिन में सूचना प्रदान कर देते हैं। गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता एवं पब्लिक रिकार्ड एक्ट 2002, कनाडा ने सुरक्षा एवं अन्य देशों से सम्बन्धित सूचनाएँ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेण्ट इन्फॉरमेशन होल्डिंग 2003, फ्रांस ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978 तथा भारत ने राष्ट्रीय, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से सम्बन्धित सूचनाएँ देने पर रोक लगा रखी है। सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के 80 देशों के लोकतंत्रों की शोभा बढ़ा रहा है।

यदि भारत की बात करें तो सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारम्भ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आन्दोलन की शुरूआत हुई। इसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम.के.एस.एस.) द्वारा अरूणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम को संचालित किया गया। 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद केंद्र में बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया।

3 दिसम्बर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की।

वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया, किन्तु शौरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की दो सरकारों ने दबाए रखा। वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक (फ्रीडम ऑफ इन्फॉरमेशन बिल) पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदों के तहत पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्तत: 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया।

आरटीआई कानून का लक्ष्य

- इस कानून का लक्ष्य सरकारी महकमों की जवाबदेहिता तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। यह अधिकार आमजन को ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने केंदीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन भी किया है।
- 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के अनुसार, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर-हाजिर रहते हों, आसपास की सड़कें खराब हालत में हों, सरकारी अस्पतालों या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयाँ न हों, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांगे या फिर राशन की दुकान पर राशन न मिले तो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी सूचनाएँ मांगी जा सकती हैं।
- सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी आदि को सूचना देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की परिभाषा में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर नहीं।
- हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी (पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ) के रूप में नियुक्त करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।
- नागरिकों को डिस्क, टेप, विडियो कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का हक है, बशर्ते मांगी गई सूचना उस रूप में पहले से मौजूद हो।
- रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान हो, उतने वक्त के भीतर ही सूचनाएं मांगी जा सकती हैं।

सूचना का अधिकार कानून की विशेषता

1. सूचना का अधिकार के तहत जमा किए गए आवेदक का उत्तर 30 दिनों के अंदर देना आवश्यक है अन्यथा प्रतिदिन की देरी के हिसाब से 250 रुपये मात्र का जुर्माना देना पड़ सकता है।
2. इस कानून के तहत सरकारी निर्माण कार्यों का मुआयना भी किया जा सकता है।
3. किस अधिकारी ने फाईल पर क्या लिखा है, कि जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अर्थात इस अधिकार का प्रयोग करके कोई व्यक्ति फाईल नोटिंग्स की प्रतिलिपि भी ले सकता है।

संशोधन बिल के पक्ष में तर्क

सरकार का कहना है कि वह पारदर्शिता और खुलेपन के लिये प्रतिबद्ध है। आरटीआई संशोधन विधेयक-2018 का उद्देश्य पूरे देश में प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते एक समान हैं जबकि दोनों के पदों के सृजन, शक्तियों आदि में बड़े अंतर हैं। ऐसे में दोनों के वेतन भत्तों की प्रक्रिया एवं राशि एक समान नहीं रखी जा सकती। सरकार का तर्क है कि, "चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत एक संवैधानिक संस्था है वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग सांविधिक संस्थाएँ हैं। चूंकि दोनों अलग-अलग तरह की संस्थायें हैं इसलिए इनका कद और सुविधायें उसी आधार पर तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन शुरू होने से पहले नियुक्त मौजूदा पदाधिकारियों की वेतन भत्ते और अन्य शर्तो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकार का कहना है कि आरटीआई विधेयक में कोई मौलिक परिवर्तन करने का इरादा नहीं है। इसके बजाय यह आरटीआई अधिनियम को सीआईसी (केंद्रीय सूचना आयुक्त) के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तो के लिए जल्द से जल्द प्रावधान बनायेगा तथा तंत्र को अधिक पारदर्शी बनायेगा।

संशोधन बिल के विपक्ष में तर्क

आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बिल सूचना आयुक्त के कद को छोटा करने की कोशिश है। उनके अनुसार इस बिल को लेकर प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी यानी कि पूर्व-विधायी परामर्श नीति का पालन नहीं किया गया है। नियम के मुताबिक अगर कोई संशोधन या विधेयक सरकार लाती है तो उसे संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता है और उस पर आम जनता की राय मांगी जाती है। वर्तमान सरकार द्वारा इस तरह की कोई भी पहल नहीं की गई है जिससे कि आमजन के अंदर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि देश में लोक सेवक, राजनेता और नौकरशाह इस कानून को बकवास कहकर बंद करने की मांग उठाते रहते हैं। समय-समय पर पूर्व तथा वर्तमान की सरकारें इस कानून के दायरे को कम करने और गोपनीयता बढ़ाने की वकालत करती रही है। सरकारें इस कानून को लेकर गंभीर नजर नहीं आती हैं।

आरटीआई कार्यकर्ताओं को कहना है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्षता से नहीं की जाती। पूर्व नौकरशाहों और अपने चहेतों को इस कानून का मुहाफिज के रूप में सूचना आयुक्त बनाना, भ्रष्टाचार और दोहरी नीति का उदाहरण है। भ्रष्टाचार के मुखालिफत और पारदर्शिता की हामी भरने वाले सियासी लोग और सियासी दल आरटीआई के दायरे में आने का विरोध कर चुके हैं और सत्ताधारी व विपक्षी दल सभी मिलकर इस कानून के दायरे में न आने के लिए एक मंच पर नजर आते हैं।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि आरटीआई में संशोधन किया जाता है तो यह अपने मूल रूप में काफी कमजोर हो जाएगा। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वह सूचना आयोग, सर्तकता आयोग, चुनाव आयोग या फिर कोई और संस्था हो। इस तरह के आरोप देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी लगा रहे हैं।

चुनौतियाँ

1. पुरानी कार्य-संस्कृति, पुरानी सोच, प्रशासनिक उदासीनता एवं बाबूशाही शैली में कार्य करनेवाले लोगों में इस एक्ट को लेकर काफी बेचैनी है और इस तरह के लोग (RTI) को अंदर ही अंदर कमजोर करते रहते हैं। इसके कारण 70 प्रतिशत आवेदकों को 30 दिनों में कोई सूचना नहीं मिल पाती है। यदि मिलती भी है तो गलत, अपूर्ण या भ्रामक।
2. आरटीआई में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनायी गयी जिससे यह पता चल सके कि किस आवेदक को सूचना मिली या नहीं मिली।
3. आरटीआई के तहत आवेदनों का ढेर लगता जा रहा है, परन्तु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रशासन का रवैया उदासीन है, जो गंभीर एवं सोचनीय है। आरटीआई खेल में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है।

4. जन सूचना अधिकारियों के समक्ष काम का अत्यधिक बोझ है। सूचना अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य के साथ-साथ आरटीआई का काम भी देखना पड़ता है और इसी दोहरे बोझ की वजह से आरटीआई का कार्य प्रभावित होता है।
5. ज्यादातर विभागों में आरटीआई सेल में कोई कोऑर्डिनेटर ही नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सही सूचना प्राप्त हुई अथवा नहीं।
6. सूचना आयोग में कानून का कड़ाई से पालन नहीं करने से सरकारी अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। छोटे-मोटे मामलों में तो सूचनाएँ मिल भी जाती है परन्तु नीतिगत मसलों, बड़ी योजनाओं या फिर जहाँ किसी भ्रष्टाचार का अंदेशा हो तो सरकारी अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं।
7. सूचना के अधिकार का प्रचार-प्रसार स्वयंसेवी संस्थाओं या फिर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार अपनी ओर से इस कानून के प्रचार की कोई जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। सरकार इस अधिकार के प्रचार-प्रसार में कोई रुचि नहीं ले रही है। आँकड़े बताते हैं कि, सरकारें अपने विज्ञापन बजट का बहुत कम हिस्सा (लगभग नगण्य) इस अधिनियम के जागरूकता के लिए अब तक खर्च की हैं।
8. इस अधिनियम के तहत तमाम सरकारी विभागों में जनसूचना अधिकारी तो नियुक्त कर दिए गए परन्तु सूचना अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएँ नहीं दी गईं। कई विभागों में तो आरटीआई के बारे में प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। कहीं-कहीं आरटीआई सेल को कमरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
9. कई अयोग्य व्यक्तियों को भी सूचना आयुक्त/सूचना अधिकारी बना दिया जाता है। जिससे इस कानून का उद्देश्य कमजोर होता है।
10. कई सूचना आयुक्त तो न्याय की सामान्य प्रक्रिया तक नहीं जानते। न्याय करने के लिए दोनों पक्षों की सुनवाई आवश्यक है परन्तु आयुक्त तो सिर्फ आवेदक को ही बुलाकर कुछ ही मिनटों में सुनवाई पूरी कर देते हैं। कभी-कभी तो आवेदक के खिलाफ भी फैसला कर दिया जाता है।

आगे की राह

1. आरटीआई का मूल उद्देश्य है लोगों को सूचना प्रदान करना तथा कर्मचारियों के जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है। अतः इस तरह का कोई भी संशोधन बिना किसी गहन विचार-विमर्श और आम जनता की राय जाने बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।
2. आरटीआई में संशोधन करने के बजाय व्याप्त व्यवस्था को सही और पारदर्शी बनाया जाय जिससे कि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके।
3. केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी विभागों में सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 4 (1-बी) के तहत 17 बिंदुओं पर सूचनाओं का नियमित रूप से स्वतः प्रकटन करने की व्यवस्था को और प्रभावी किया जाय।
4. भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का खुलासा करने वाले आरटीआई आवेदकों और खोजी पत्रकारों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
5. देश में प्रभावी ढंग से जन लोकपाल कानून एवं व्हिसिल ब्लोवर्स सुरक्षा कानून लागू किये जायें।
6. सूचना के अधिकार के प्रयोग से उजागर होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
7. सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन से विद्मान संस्थाएँ चाहे वह वैधानिक हो, या फिर संवैधानिक उनकी स्वतंत्रता पर कोई आंच न आये।
8. सूचना का अधिकार आमजन को मिला एक सशक्त हथियार है जिसको बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अतः सरकार को उसके मजबूत होने के लिए कार्य करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

5. अर्थ ओवर शूट डेः संसाधनों की लूट का मापक

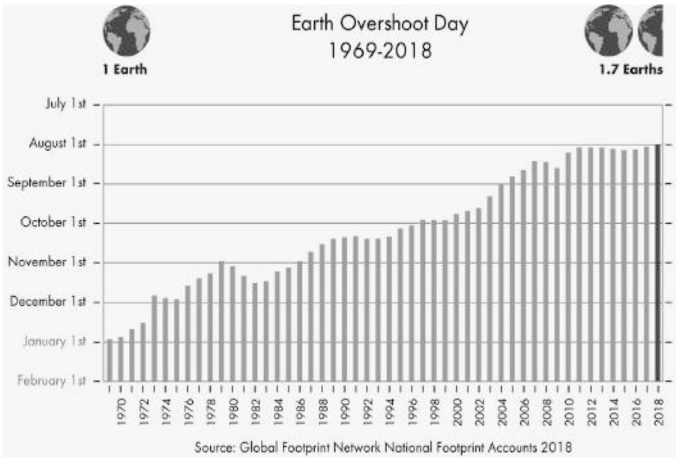

चर्चा का कारण

ग्लोबल फुट-प्रिंट अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक 1997 में अर्थ ओवर शूट डे 30 सितंबर को आया था लेकिन अब दो दशक बाद 2018 में अर्थ ओवर शूट डे 1 अगस्त को ही आ गया है। अर्थात इस वर्ष हमने पृथ्वी पर उपलब्ध एक साल के संसाधनों का इस्तेमाल कर इसे 7 महीनों में ही समाप्त कर दिया है। मानव की साल दर साल उपभोग की यह रफ्तार बढ़ती जा रही है जिससे अनुमान है कि आने वाले 12 वर्षों में ही हमें अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए दो पृथ्वियों की दरकार होने लगेगी। संसाधनों की खपत में इतना तेज इजाफा हो गया है कि पृथ्वी उसकी उतनी गति से भरपाई करने में पिछड़ने लगी है। इससे यह विचारणीय स्थिति पैदा हो गई है कि यदि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले हालात हों तो पृथ्वी पर जीवन आखिर कैसे बचेगा? एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संगठन 'ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क' (जीएफएन) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि पानी, खनिज, लकड़ी आदि के संपूर्ण खात्मे की तारीख तेजी से नज़दीक आ रही है। इस तारीख की गणना 70 के दशक में किए जाने की शुरूआत हुई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि हर साल पृथ्वी, खपत या क्षति के बाद इंसान के लिए जरूरी संसाधनों की कितनी भरपाई कर पाती है और कितने हिस्से की क्षतिपूर्ति करना उसके वश से बाहर होता जा रहा है।

क्या है अर्थ ओवर शूट डे?

अर्थ ओवर शूट दिवस उस तारीख को मनाया जाता है जिस तारीख तक उस एक साल में धरती द्वारा मनुष्यों के लिए पैदा किया गया पारिस्थितिकीय संसाधनों और सेवाओं का उपभोग उस साल के खत्म होने से पहले ही कर लिया जाता है।

हर साल ओवर शूट दिवस तय करने के लिए उस साल के दिनों की गणना की जाती है जिसके दौरान ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी की जैव क्षमता मनुष्यों की पारिस्थितिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अगर ये एक साल से कम समय के लिए है तो साल के बाकी बचे महीनों को ओवरशूट डे कहा जाता है। इस तरह ओवर शूट डे की गणना हर साल पृथ्वी द्वारा पैदा की जाने वाली जैविक क्षमता को उस वर्ष की मांग से विभाजित करके किया जाता है।

ग्लोबल फुट-प्रिंट की रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार पानी, खनिज, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक तेजी से किया जा रहा है।
- अब से दो दशक पहले स्थिति ये थी कि पृथ्वी के इन संसाधनों का दोहन 9 महीने में ही (अर्थात 30 सितम्बर तक ही) खत्म हो जाता था तब 30 सितंबर को ओवर शूट डे कहा जाता था। अगले 10 साल में इस ओवर शूट डे की तारीख कम होकर 15 अगस्त तक आ गई यानी लगभग साढे आठ महीनों में ही संसाधनों का खात्मा होने लगा। 2017 में ओवर शूट डे 3 अगस्त को था जबकि 2018 में ये और कम होकर 1 अगस्त तक आ पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि साल के शेष बचे महीनों में पृथ्वी के जिन संसाधनों की खपत होगी वो असल में पृथ्वी के भविष्य से लिया जाने वाला कर्ज है जिसकी अगर भरपायी नहीं की गई तो पृथ्वी पर मौजूदा संसाधनों के समाप्त होने का संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में पृथ्वी जितना संसाधन पैदा करती है उसकी तुलना में मानव संसाधनों का 1.7 गुणा तेजी से खपत कर रहा है।
- अगर स्थिति यही बनी रही तो वर्ष 2030 तक आते-आते हमें दो पृथ्वी जितनी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार मछली मारना, जंगलों की बेइंतहा कटाई करना, अत्यधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जित करना आदि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचा रहा है।
- जैसे-जैसे मानव विकास और वैश्विकरण की राह पर आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे मानव पर्यावरण संसाधनों के प्रति उदासीन होता चला गया है।
- अगर आने वाले समय में पर्यावरण से अवैध रूप से वृक्षों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और अंधाधुंध औद्योगीकरण पर रोक नहीं लगा पाये तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।

अर्थ ओवर शूट डे की गणनाः हर साल अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुट-प्रिंट नेटवर्किंग नामक संस्था अर्थ ओवर शूट डे की गणना करती है। संस्था के मुताबिक ओवर शूट डे का निर्धारण करने वाले चार अहम कारक हैं-

1. हम पर्यावरण का कितना उपभोग कर रहे हैं।
2. उत्पादों को कितनी कुशलता से बनाया जा रहा है।
3. उपभोग करने वालों की कुल जनसंख्या कितनी है।
4. प्रकृति का पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादन करने में कितना सक्षम है।

अर्थ ओवर शूट डे के कारण

पर्यावरण हमारे जरूरत के संसाधनों की पूर्ति करता है जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों तरह के संसाधन शामिल होते हैं। पर्यावरणीय कार्यों को बिना किसी रूकावट के तभी तक किया जा सकता है जब तक उसकी धारण क्षमता सीमा में हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन उसके पुनर्निर्माण की दर से ज्यादा न हो। जब यह दर बढ़ जाती है तो पर्यावरणीय संकट भी बढ़ जाता है जो ओवर शूट के रूप में हमारे सामने आता है।

- पूरी दुनिया में ओवर शूट डे की स्थिति का एक प्रमुख कारण विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है।
- दूसरी ओर विकसित देशों के समृद्ध उपभोग और उत्पादक मानकों ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है जिसके कारण अनेक संसाधन

विलुप्त हो गये हैं और ये पर्यावरण द्वारा संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता से बहुत ज्यादा है।

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व जनसंख्या में सालाना 8 करोड़ 30 लाख की बढ़ोतरी हो रही है।
- रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रजनन क्षमता में गिरावट दर्ज की जाती है तब भी वर्ष 2030 तक विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब 60 करोड़ तक पहुँच जाएगी।
- जिसके साल 2050 तक 9 अरब 80 करोड़ और वर्ष 2100 तक 11 अरब 20 करोड़ पहुँचने की उम्मीद है। दरअसल बढ़ती आबादी के द्वारा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मांग और आपूर्ति का संतुलन पूरी तरह से उलट चुका है।
- इसके अलावा रेत और बजरी ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका बहुत ज्यादा दोहन इंसानों द्वारा किया जाता है। रेत के खनन ने तेल और गैस के प्राकृतिक खनन को भी पीछे छोड़ दिया है।
- जंगल से इंसानों का पुराना नाता रहा है पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के अलावा जंगल मनुष्य के आर्थिक संसाधनों का मुख्य स्रोत रहा है लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जंगली जीव जंतुओं के अस्तित्व के साथ-साथ पारिस्थितिकी पर भी गहरा संकट आ गया है।
- एक अनुमान के मुताबिक हर मिनट दुनिया में 48 फुटबाल मैदान के बराबर पेड़ काट दिए जाते हैं।

अर्थ ओवर शूट डे और भारत

- अगर हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति यह है कि वर्ष 2030 तक भारत को भारत जैसे ढाई देशों जितनी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
- एक अनुमान के मुताबिक भारत में जल 70% प्रदूषित है और 2025 तक भारत पानी की भीषण कमी वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
- वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 10 लाख लीटर पानी की उपलब्धता है, जबकि 1951 में यही उपलब्धता 30 से 40 लाख लीटर थी इस प्रकार पानी की उपलब्धता में पिछले 6 दशकों में चार गुणा की कमी आयी है।
- संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है जिसका कारण है धरती के जलस्तर का तेजी से घटना।
- मिट्टी का दोहन भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। आज पंजाब की मिट्टी की उत्पादकता अत्यधिक कम हो गई है।
- इसके अलावा मिट्टी में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बहुत तेजी से घट रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 5334 लाख टन मिट्टी खत्म हो रही है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें तो 16.4 हेक्टेयर मिट्टी हर साल खत्म हो रही है।
- भारत में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 30 लाख एकड़ वन क्षेत्र काटे या जलाये जा रहे हैं।
- 15 फीसदी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पेड़ों की कटाई की वजह से बढ़ रहा है।
- नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 83 फीसदी स्तनपायी जीवों के लुप्त होने का कारण इंसान ही है।
- भारत के पास बायो क्षमता बहुत कम है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 18% जनसंख्या निवास करती है जबकि यहाँ विश्व के कुल संसाधनों का 5% से भी कम संसाधन है। वही हाल जंगल, जल, जानवर और जमीन का भी है।

प्रभाव

संसाधनों के तीव्र दोहन या यूं कहें की चादर से ज्यादा पैर पसारने की आदत के नतीजे पूरी दुनिया के सामने हैं जैसे-

- दुनिया में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
- साफ पीने लायक पानी की मात्रा घट रही है।
- वनक्षेत्र सिकुड़ रहे हैं।
- नमी वाले क्षेत्र (वेटलैंड्स) समाप्त हो रहे हैं।
- संसाधनों के घोर अभाव के युग की आहट के साथ-साथ हजारों जीव और पादप प्रजातियों के सामने हमेशा के लिए विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
- इसके साथ ही ऊर्जा की खपत बढ़ रही है।
- खाद्यान्न की समस्या और विकराल हो रही है।
- प्रदूषण घातक रूप ले चुका है और धरती को जलवायु परिवर्तन की समस्या से सतत जूझना पड़ रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साझा समर्थन से 95 देशों के अलग-अलग क्षेत्रों के 1360 विशेषज्ञों ने 2.4 करोड़ डॉलर के भारी-भरकम खर्च से 'मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट (एमईए)' नामक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी यही बात कही गई थी।
- एमईए प्रोजेक्ट के मुखिया और विश्व बैंक में चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट वाटसन ने उस वक्त कहा था कि यूं "तो हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है, पर दुर्भाग्य से हमारा बढ़ता लालच भावी पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाने देगा।"
- एमईए रिपोर्ट में कहा गया था कि इंसान का यह दखल इतना ज्यादा है कि पृथ्वी पिछले 50 वर्षों में ही इतनी ज्यादा बदल गई है, जितनी कि मानव इतिहास के किसी काल में नहीं बदली।
- आधी शताब्दी में ही पृथ्वी के अंधाधुंध दोहन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का दो-तिहाई हिस्सा नष्ट हो गया है।
- जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग और जनसंख्या-वृद्धि की तेज रफ्तार धरती के सीमित संसाधनों पर दबाव डाल रही है। इस वजह से खाद्यान्न के साथ-साथ पानी, लकड़ी, खनिजों आदि का भी संकट दिनोंदिन गहरा रहा है।
- विकास के इस क्रम में नदियाँ और अन्य जल के स्रोत प्रादूषित हुए हैं, इसके साथ ही जल एवं वायु की गुणवत्ता में भी लगातार कमी आयी है।
- संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक पानी की मांग उपलब्धता के बदले 55% फीसदी से ज्यादा हो जाएगी।
- जमीन में पानी का स्तर प्रत्येक वर्ष 3.2 फीसदी तक घट रहा है।
- इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में यह बढ़ोतरी 1961 से 2001 के बीच हुई है और यह पहले के मुकाबले 160 प्रतिशत बढ़ गया है।
- अलग-अलग हिस्सों में बांटने से संसाधनों के खर्च की तस्वीर और साफ होती है, जैसे 1961-2001 के बीच 40 साल के अंतराल में ही इंसानों के भोजन, फाइबर और लकड़ी की जरूरतों में 42 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस कारण 1970 से 2001 के बीच समुद्री जीव-जंतुओं की प्रजातियों में 30 फीसद और ताजे पानी की जीव प्रजातियों में 50 फीसद की गिरावट हुई।

- जहां तक प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपभोग का सवाल है तो 40 साल की अवधि में तेल फूंकने में हमने 700 प्रतिशत की तरक्की की है। जाहिर है, प्रदूषण की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है।
- अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांस्डमेंट ऑफ साइंस (एएएएस) अरसे से रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से हासिल तस्वीरों की बदौलत इकोलॉजिकल एटलस तैयार करती रही है। वर्ष 2001 में प्रकाशित इकोलॉजिकल एटलस ने साफ किया था कि मनुष्य ने ग्लोब की आधी जमीन कब्जा ली है।

आगे की राह

ग्लोबल फुट-प्रिंट के मुताबिक विश्व की आबादी और संसाधनों का उपभोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संसाधनों की प्रतिव्यक्ति मांग लगातार बढ़ती जा रही है जिससे संसाधनों की उपलब्धता लगातार सिमटती जा रही है। मांग और उपभोग की बढ़ती इस खाई को पाटने के लिए संस्था ने कुछ उपाय सुझाए हैं जो निम्न हैं-

- अगर कुछ क्षेत्रों में इंसान अपनी लालच और इच्छाओं पर अभी से काबू पाना शुरू कर दे तो स्थिति बदल सकती है और पृथ्वी सबके लिए जीने लायक बनी रह सकती है।
- हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही हमें इस धारणा से बाहर निकलना होगा कि सब कुछ सरकार कर देगी।
- यह अवश्य कहा जा सकता है कि इससे संबंधित जो कानून हैं तथा सरकार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है।
- हमें संसाधनों का कम से कम उपभोग करना होगा जैसे जल, जमीन, जानवर तथा जंगल आदि अर्थात हमें जागरूक होना पड़ेगा।

संस्था ने संसाधनों के दोहन को मुख्यत: चार वर्गों में विभाजित कर उसका आकलन किया है एवं इससे संबंधित उपाय बताए हैं।

- **शहरी कारण:** संस्था का अनुमान है कि 2050 तक 70 से 80 फीसदी इंसानी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी।
  - रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी योजना और शहरी विकास की योजना से पृथ्वी पर कम से कम दबाव के साथ हमें शहरीकरण का सपना पूरा करना चाहिए।
  - स्मार्ट सिटी में ऊर्जा कुशल इमारतों, एकीकृत जोनिंग, कॉपैक्ट शहरों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था पर जोर देना चाहिए।
  - संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 11 में पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण को बढ़ावा देने की बात कही गयी है जिस पर अमल करने की आवश्यकता है।
- **ऊर्जा:** रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन फुट-प्रिंट से हमारा 60 प्रतिशत इकोलॉजिकल फुट-प्रिंट बनता है।
  - इसकी गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि आज से 150 साल पहले इंसानों के लिए कार्बन फुट-प्रिंट शून्य था।
  - और अगर, 2015 के पेरिस समझौते के तहत जीना हैं तो हमें कार्बन फुट-प्रिंट को 2050 तक फिर से शून्य पर लाना होगा।
  - संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 में अफॉर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात कही गई है जिस पर आगे बढ़ने की जरूरत है।
- **भोजन:** रिपोर्ट के मुताबिक खाद्यान्न की मांग वैश्विक इकोलॉजिकल फुट-प्रिंट का 26 फीसदी बनाती है।
  - संस्था के मुताबिक विश्व को खाद्य उत्पादन में संसाधन क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थों पर निर्भरता बढ़ानी होगी जो पर्यावरण और पृथ्वी पर कम दबाव डालतें हों।
  - मसलन चीन ने 2030 तक मांस खपत को 50 फीसदी घटाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ताकि फसलों की गुणवत्ता और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
  - संस्था के अनुसार अगर वैश्विक मांस खपत को आधा कर दिया जाए तो ओवरशूट डे में 5 दिनों की सुधार हो जाएगी। साथ ही इसकी जगह शाकाहारी आहार को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा हम अगर खाने की बर्बादी को 50 फीसदी कम करने में कामयाब होते हैं तो ओवर शूट डे में 11 दिनों का सुधार किया जा सकता है।
- **आबादी:** संस्था के मुताबिक चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें सुधार की जरूरत है वो है आबादी।
  - संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 980 करोड़ होगी।
  - संस्था के अनुसार अगर हर दूसरे परिवार में औसतन एक बच्चा कम पैदा होता है तो 2050 तक आबादी में 100 करोड़ लोग कम होंगे।
  - परिवार के सदस्यों में ये मामूली सुधार होने से 2050 तक अर्थ ओवर शूट डे में 30 दिनों का सुधार मुमकिन हो सकेगा।
  - संस्था के मुताबिक महिला सशक्तिकरण से परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित करने में अहम कामयाबी हासिल की जा सकती है।
  - संस्था का जोर इस बात पर है कि कैसे हम इस इंसानी आबादी को ना सिर्फ काबू करें बल्कि उसे कम भी करें। धरती पर इंसानों की आबादी जितनी कम होगी प्रतिव्यक्ति धरती और उसके संसाधनों की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होगी।
- इसके अलावा हमें अपने साथी वन्य जीवों का भी ख्याल रखना होगा ताकि पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहे।
  - 2016 में आई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों के कारण जानवरों की आबादी घट रही है।
  - रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से अब तक वन्य प्राणीयों की संख्या 60 फीसदी से भी कम हो चुकी है और आने वाले सालों में ये और कम होगी, अर्थात इंसान अपनी लालच के लिए धरती पर उसके संसाधनों पर और उसके वन्य जीवों और पर्यावरण पर अकेले एक तरफा फैसला ले रहा है।
- ग्लोबल फुट-प्रिंट नेटवर्क ने धरती को बचाने और एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए '# टैग मूव द डेट' की शुरूआत की है जिसका मकसद अर्थ ओवर शूट डे को हर हाल में सुधारना है।
- अगर हम अर्थ ओवर शूट डे को हर साल 5 दिन कम करते रहे तब जाकर साल 2050 तक एक साल के लिए पृथ्वी द्वारा उत्पादित संसाधन मनुष्य के उपभोग के लिए पर्याप्त होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

6. एचआईवी एड्स नियंत्रणः माइल्स टू गो

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2017 के बीच भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों, एड्स से होने वाली मौतों और एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहीं इसके उलट पाकिस्तान और फिलीपींस में यह महामारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है।

स्मरणीय है कि ज्वाइंट यूएन एजेंसी ऑन एड्स (यूएनएड्स) की रिपोर्ट 'माइल्स टू गो' में कहा गया है कि एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास स्थित देशों में एचआईवी उन्मूलन कार्यक्रम से लाभ हो रहा है। 2010 से 2017 के बीच भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाइलैंड और वियतनाम में एचआईवी संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई है। वैश्विक स्तर पर हालांकि स्थिति अब भी चिंताजनक है।

एचआईवी एड्स क्या है?

एचआईवी (HIV) का अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। यह एक वायरस होता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को HIV (एचआईवी) का संक्रमण होता है। HIV शब्द उस वायरस का नाम दर्शाता है।

एड्स (AIDS) का अर्थ होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV के संक्रमण की उच्च या आखरी अवस्था होती है।

एचआईवी वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश के बाद शरीर में संक्रमण के प्रति लड़ने वाले CD4 कोशिकाओं (Cells) और प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) को नष्ट कर देता है। इन दो महत्वपूर्ण चीजों के नष्ट हो जाने के कारण शरीर को संक्रमण और कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों से लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे-जैसे यह CD4 (क्लस्टर ऑफ डिफ्रेन्टशिएशन 4) और Immune System को नष्ट करते चला जाता है वैसे-वैसे उस व्यक्ति के शरीर में AIDS की अवस्था बढ़ने लगती है।

एचआईवी के फैलने के मुख्य कारण

- एक HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाने से।
- एक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किये गए सिरिंज, सुई आदि को किसी स्वस्थ व्यक्ति पर इस्तेमाल करने से।
- एक एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से जन्म के समय या स्तन पान करते समय उसके बच्चे को।
- किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से।
- किसी भी कटे, जले या त्वचा के ऊपरी घाव पर किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संपर्क में आने से।

एचआईवी इन चीजों से नहीं फैलता है

HIV का वायरस मनुष्य के शरीर से बाहर लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकता और बाहर के वातावरण में यह फैल नहीं सकता है। हवा और पानी से, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से, लार, थूक, पसीना अगर वो एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संपर्क ना हुआ हो, हाथ मिलाने से,गले लगने से, एक ही शौचालय के इस्तेमाल करने से,एक ही थाली में खाना खाने से या एक ही गिलास में पानी पीने से यह रोग नहीं फैलता है।

वर्तमान स्थिति

आंकड़ों के हिसाब से भारत में 2010 में जहां एचआईवी संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक लाख 20 हजार थी, वहीं 2017 में यह संख्या महज 88 हजार पर सिमट कर रह गई। एड्स के कारण जान गंवाने वालों की संख्या भी एक लाख 60 हजार से घटकर 69 हजार पर आ गई। एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 23 लाख से घटकर 21 लाख पर पहुंच गई। यह भारत की सामाजिक सुरक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन से संभव हो पाया है। हालांकि भारत वैश्विक स्तर पर इस मामले में तीसरे स्थान पर काबिज है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी (ART) के माध्यम से HIV AIDS संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है लेकिन अभी भी केवल 43% व्यस्क रोगी ही ART के दायरे में हैं।

यूएनएड्स के मुताबिक पिछले सात सालों में वैश्विक स्तर पर एचआईवी मामलों की वृद्धि दर में मात्र 18 फीसद की गिरावट आई है। 2010 में दुनियाभर में 18 लाख लोग इस बीमारी के वायरस से संक्रमित थे। 2017 में इनकी संख्या 22 लाख थी। चिंता की बात ये है कि महिलाएं अब भी इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अध्ययन में सामने आया है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना और लेसोथो हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन कर्मी, समलैंगिक पुरुष, कैदी, शरणार्थी और ट्रांसजेंडर इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। एचआईवी उन्मूलन कार्यक्रमों में इन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि इस महामारी को खत्म करने के लिए इन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है।

भारत में राज्यों की स्थिति

राज्य	पॉजिटिव केस	मौत
आंध्रप्रदेश	142417	29652
कर्नाटक	81727	20533
महाराष्ट्र	117291	17426
तमिलनाडु	45448	11957
गुजरात	35330	7331
उत्तर प्रदेश	41323	7058
राजस्थान	23262	4577
मध्य प्रदेश	14947	2769
दिल्ली	20512	1792

एचआईवी से अन्य खतरा

एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि एचआईवी से ग्रसित लोगों में दिल की बीमारी का खतरा दो गुना हो जाता है। यह अध्ययन सर्कुलेशन नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वैश्विक स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि बीते 20 वर्षों में हृदय रोगियों की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई है। इसकी एक बड़ी वजह एचआईवी के वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या में इजाफा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, एचआईवी वायरस रक्त में वसा के स्तर को बढ़ा देता है और माना जाता है कि इससे शरीर के शुगर के स्तर के नियमन की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे दिल संबंधी रोग हो सकता है।

सरकारी प्रयास

- गौरतलब है कि वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय सभा में, भारत ने एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगले पाँच सालों में इसके संबंध में तेज गति से कार्यवाही करने और वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने का वचन दिया है।

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अपनी इस प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के उद्देश्य से एचआईवी/एड्स संबंधी कार्यक्रमों को अधिक से अधिक वित्त प्रदान कर इस महामारी को नष्ट करने का निर्णय लिया है।
- यहाँ यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि भारत ने अपने एचआईवी/एड्स कार्यक्रम के संबंध में बहुत पहले ही विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है। साथ ही बजट एवं अन्य राष्ट्रीय अनुदान राशियों के माध्यम से इस क्षेत्र में फंडिंग को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में बढ़ती फंडिंग से यह साफ पता चलता है कि भारत में न केवल नीतिगत स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की क्षमता विद्यमान है बल्कि जमीनी स्तर पर भी यह एचआईवी/एड्स से निपटने के लिये पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन एचआईवी/एड्स संबंधी कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पहले की भाँति सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मार्च 2018 में एचआईवी-1 संक्रमण के उपचार के लिये बाइटेग्रावीर (Bietegravir), एट्रिकि टैबाइन (Entrici tabine), टेनोफोविर अलाफेनामाइड (Tenofaviralafenamide), गिलियड आदि दवाईयों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

हाल ही में संसद द्वारा 'एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2017' पारित किया गया है जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- यह HIV और AIDS से संक्रमित व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे- शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य केंद्रों, दुकानों, होटलों आदि में HIV/AIDS संक्रमित व्यक्तियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति और न्यायालय के आदेश के बिना अपनी HIV स्थिति को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। HIV पीड़ितों की जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठानों के लिए डेटा संरक्षण उपायों को अपनाना अनिवार्य किया गया।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे HIV/AIDS को फैलने से रोकने के उपाय करें, HIV/AIDS पीड़ितों को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्रदान करें एवं उनकी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक राज्य द्वारा एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम के उल्लंघन की जांच करेगा।
- 12 से 18 वर्ष के बीच का व्यक्ति जो HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्ति से संबंधित मामलों को समझने और प्रबंधित करने की परिपक्वता रखता हो, 18 वर्ष से कम उम्र के अपने HIV/AIDS पीड़ित भाई/बहन का संरक्षक घोषित किया जा सकता है।
- HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

एड्स रोकथाम में आने वाली चुनौतियाँ

एड्स न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। इसके रोकथाम में आने वाली चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. **जानकारी का अभाव:** एड्स को लेकर कई तरह की भ्रातियाँ हैं जो इस रोग के रोकथाम में बाधा है। शिक्षा की कमी की वजह से लोग इसके कारणों को समझ नहीं पाते और फिर इसका शिकार हो जाते हैं। पहले लोग इस तरह की बीमारी को लेकर ज्यादा सर्तक नहीं होते हैं और जब उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
2. **सामाजिक सरोकार नहीं:** एड्स जैसी बीमारी को लेकर समाज आज भी पुरातन सोच रखता है। पर्याप्त जानकारी न होने की वजह से यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो समाज में उसे गलत निगाहों से देखा जाता है। समाज उस व्यक्ति को अपनाने को तैयार नहीं होता जिससे कि वह व्यक्ति सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाता है। परिणाम यह होता है कि एड्स पीड़ित व्यक्ति भी अपने रोग को छुपाता है और इलाज सही तरीके से नहीं करा पाता है। हाल ही में कई ऐसी घटनायें सुनने को मिली हैं जिसमें कि एड्स पीड़ित अभिभावकों के बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया।
3. **सरकारी खर्चे की कमी:** जिस व्यापक रूप से यह रोग फैला है उसे देखते हुए इसके रोकथाम के लिए अत्यधिक पैसे की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान से लेकर, प्राथमिक उपचार तक के लिए अधिक व्यवस्था करनी होगी लेकिन पैसे के अभाव में ये पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में इस तरह की बीमारी के लिये पर्याप्त सुविधा नहीं हैं जिसका असर पीड़ितों पर पड़ता है। इसके अलावा जो राशि आती भी है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। एक और कारण बिचौलिये हैं जिसके कारण उपचार महँगा हो जाता है और एड्स मरीज अपना इलाज सही से नहीं करा पाते हैं।
4. **मूलभूत सुविधाओं का अभाव:** सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ और सिरिंज नहीं होने से कई बार एक ही सिरिंज कई व्यक्तियों को लगा दी जाती है जिससे कि इस बीमारी की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अलग से वार्ड बनाने की जरूरत है जिससे कि इन मरीजों पर अधिक ध्यान दिया जा सके लेकिन इस तरह की व्यवस्था का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की बहुलता के कारण भी एक सिरिंज का उपयोग कई मरीजों के लिये किया जाता है। एड्स की जांच की व्यवस्था अभी भी कई जगहों पर नहीं है जो इसके फैलने का एक कारण है। इसके साथ ही जिस केंद्रों पर जांच व्यवस्था विद्मान है वहाँ भी इसकी सटीकता का अभाव है।
5. **निगरानी तंत्र की कमी:** कई बार विदेशी नागरिक देश में घूमने आते हैं और फिर उनके संपर्क में देश के नागरिकों के आने और शारीरिक संबंध बनाने से यह बीमारी नागरिकों में फैल जाती है। चूंकि उन विदेशी नागरिकों की मेडिकल जाँच सही तरीके से नहीं हो पाती है इसलिए इस बीमारी के फैलने में वे सहायक होते हैं।

देश के अंदर सेक्स वर्करों पर भी सही तरीके से निगरानी नहीं रखी जाती है। सरकार के पास इनके संबंध में ठोस आंकड़ा नहीं है कि किस इलाके में कितने सेक्स वकर्स एड्स पीड़ित हैं परिणामस्वरूप इसके रोकथाम में कठिनाई उत्पन्न होती है। कई बार तो सेक्स वर्करों को भी यह पता नहीं होता है कि वे एड्स से पीड़ित हैं।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के लिये सकारात्मक पहलू है। हालांकि भारत को इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कार्य करना बाकी है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. एड्स एक लाइलाज बीमारी है अत: इसके प्रभाव को कम करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि आम नागरिकों में इसे लेकर जागरूकता बढ़ायी जाय।
2. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि एचआईवी कोई छूआछूत की बीमारी नहीं है इसलिए एचआईवी पीड़ित व्यक्ति को समाज में स्थान दिया जाय और उसे सामाजिक, मानसिक अथवा किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाय।
3. सरकार को चाहिए कि इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त धन प्रदान किया जाय जिससे कि अस्पतालों, कर्मचारियों, डॉक्टरों तथा अस्पतालों की सुविधाओं में आने वाली कमी को दूर किया जा सके।
4. सरकारी एनजीओ तथा गैर सरकारी एनजीओ, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें सही तरीके से एचआईवी पीड़ितों की निगरानी करनी होगी जिससे कि उनकी पहचान हो सके और उनका सही समय पर और सही तरीके से इलाज हो सके।
5. इस बीमारी को कम करने के लिए नगरों एवं महानगरों में सेक्स वर्करों के बीच जागरूकता बढ़ानी होगी तथा उनकी नियमित परीक्षण करना होगा जिससे कि यदि वे संक्रमित होते हैं तो उनकी पहचान एवं इलाज हो सके।
6. ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में उपलब्ध अस्पतालों के डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार प्रयोग किया हुआ सिरिंज दोबारा प्रयोग न किया जाये। इसके अलावा एचआईवी पीड़ित अभिभावकों के बच्चों का भी सही तरीके से परीक्षण/जाँच करनी चाहिए और यदि वे एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो उनका तुरंत इलाज शुरू करना होगा।
7. सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाय। इसके अलावा बिचौलियों की जो चेन बनी हुई है उसे भी तोड़ा जाय जिससे आम जनता को समय पर और सुविधापूर्वक इलाज प्राप्त हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

7. प्रार्थना का अधिकार: क्या केवल पुरूषों को उपलब्ध

चर्चा का कारण

हाल ही में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हर वर्ग का होता है और यहाँ कोई भी आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि धारा 25 सभी वर्गों चाहे वह पुरुष हो या महिला सबके लिए बराबर है। इस मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 25(2)(बी) के तहत मिले अधिकार हर वर्ग के लिए हैं और वो किसी जाति/धर्म विशेष के लिए नहीं हैं।

क्या है विवाद?

केरल के पत्थनमथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। महिलाओं के प्रवेश को लेकर इसकी प्रबंधन समिति का कहना है कि रजस्वला होने की वजह से 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं अपनी व्यक्तिगत शुद्धता बनाये नहीं रख सकती हैं। इसलिए 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं जिन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, उन्हें भी अपने साथ आयु प्रमाणपत्र ले जाना होता है। आयु प्रमाणपत्र चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। यही कारण है कि इस वर्ग की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सबरीमाला मंदिर हर साल नवम्बर से जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। मंदिर में प्रवेश को लेकर महिलाओं का कहना है कि उन्हें भी पूजा करने का अधिकार मिले। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर 'द इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन' ने चुनौती दी है। इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत मांगी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।

सबरीमाला विवाद टाइम लाइन

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला कोई नया मामला नहीं है इसकी शुरूआत वर्ष 1991 में होती है।

1991 में एस. महेंद्रन बनाम ट्रावनकोर सेक्रेट्रिएट वाद में केरल उच्च न्यायालय ने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर राज्य के प्रतिबंध को बरकरार रखा। 2006 में कन्नड़ अभिनेत्री जयमाला ने दावा किया कि उन्होंने सबरीमाला मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया था तथा देवता की मूर्ति को भी छुआ था। उनके इस दावे से बहुत हंगामा हुआ। साथ ही उनके खिलाफ मुकद्मा भी दायर किया गया। इसके बाद 2006 में ही 'भारत युवा वकील संघ' ने केरल उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर की और कहा कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

7 मार्च, 2008 को न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा तथा न्यायाधीश वी.एस. सिरपुरकर की पीठ ने मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया इस प्रकार एक बार फिर यह मामला 8 वर्षों तक ठण्डे बस्ते में रहा। 13 अप्रैल, 2016 को न्यायाधीश दीपक मिश्रा, वी. गोपाल गौड़ा और कुरियन जोशेफ की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की।

25 अप्रैल, 2016 को वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उचित कारणों की वजह से विशेष वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से बाहर रखा गया है। 13 अक्टूबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला केस को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया।

संविधान पीठ निम्न प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है

वर्तमान में न्यायालय यह देख रही है कि-

- क्या शारीरिक बदलाव के चलते महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा लिंग आधारित भेदभाव तो नहीं है?
- क्या 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को बाहर रखना अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक रीति रिवाज का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है?
- क्या धार्मिक संस्था अपने मामलों का प्रबंधन करने की धार्मिक आजादी के तहत इस तरह के रीति, रिवाजों का दावा कर सकती है?

- क्या अयप्पा मंदिर को धार्मिक संस्था माना जाएगा, जबकि उसका प्रबंधन विधायी बोर्ड, केरल और तमिलनाडु सरकार के बजट से होता है?
- क्या ऐसी संस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 39(ए) और 51 ए(ई) के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के प्रचलन को बनाए रख सकती है?
- क्या कोई धार्मिक संस्था 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को 'केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल', 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) के नियम संख्या 3 के आधार पर प्रतिबंधित कर सकती है?

महिलाओं के प्रवेश निषेध के पक्ष में तर्क

दरअसल, इस मामले में संवैधानिक और सांस्कृतिक आयाम निहित हैं। इस प्रतिबंध के पक्ष में खड़े लोगों का मानना है कि-

- सबरीमाला में भगवान अयप्पा की एक नास्तिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा की जाती है और यह दैवीय सिद्धांत की दृष्टि से एक तांत्रिक क्रिया है न कि वैदिक।
- तांत्रिक व्यवस्था में यह मंदिर एक प्रार्थना कक्ष नहीं है बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहाँ देवता ईश्वर नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है।
- प्रत्येक मंदिर की अपनी विशिष्टता है और यही विशिष्टता उस मंदिर की आत्मा भी है। इस दृष्टि से सबरीमाला की इस विशिष्टता को बनाए रखना होगा।
- ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हैं वास्तव में प्रतिवर्ष इस मंदिर में आने वाली महिला श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है। प्रतिबंध केवल उन्हीं महिलाओं के प्रवेश पर है जिनकी आयु 10 से 50 वर्ष के बीच है।

विपक्ष में तर्क

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को "शुद्धता" के एक तर्कहीन और अप्रचलित धारणा के आधार पर प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित समानता के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस प्रकार के प्रतिबंध लैंगिक समानता बहाल करने की दिशा में प्रतिगामी कदम हैं। यह प्रतिबंध एक पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है।

- यह निषेध अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव) और अनुच्छेद 17 (छुआछूत) का उल्लंघन है।
- साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
- नारीत्व और इससे संबंधित जैविक विशेषताओं के आधार पर यह प्रवेश निषेध महिलाओं के लिये अनादरसूचक है, जबकि अनुच्छेद 51 ए (ई) में महिलाओं को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

सबरीमाला मंदिरः एक परिचय

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 175 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाटी में पहाडियों की शृंखला सह्याद्रि के अंदरूनी हिस्से में पंपा क्षेत्र स्थित है। इसी पंपा क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। यह "पत्थनमथिट्टा" जिले के अंतर्गत आता है। मक्का-मदीना के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा तीर्थ माना जाता है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का वास्तविक नाम सबरिमलय है। मलयालम भाषा में पर्वत को शबरीमाला कहा जाता है। यह मंदिर करीब 18 पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसी आधार पर इसका नाम सबरिमलय रखा गया। यह मंदिर अय्यपन नामक देवता को समर्पित है। कंब रामायण, महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में शिशु शास्ता का उल्लेख मिलता है, अय्यपन उसी के अवतार माने जाते हैं। शास्ता का जन्म भगवन विष्णु की अवतार मोहिनी और शिव के समागम से माना जाता है।

सबरीमाला मंदिर को भगवान परशुराम से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अय्यपन पूजा के लिए सबरीमाला में मूर्ति की स्थापना की थी। कई विद्वान इसे राम भक्त शबरी से भी जोड़कर देखते हैं। इस मंदिर में जाति और धर्म को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। यहां हर भक्त को प्रवेश की अनुमति है। इस तरह यह मंदिर धार्मिक सद्भाव की अनूठी मिसाल है। मंदिर के करीब ही मुस्लिम धर्म के अनुयायी और अयप्पन के भक्त वावरा का मस्जिद है। मान्यता है कि इस मस्जिद के दर्शन के बिना सबरीमाला की यात्रा अधूरी रहती है।

भारत में धार्मिक लैंगिकता की स्थिति

समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा आज भी स्त्री को दोयम दर्जे का समझा जाता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहाँ पर ये मान्यता है कि महिलाओं के आने से यह स्थान अपवित्र हो जाएगा। राजस्थान के पुष्कर शहर में स्थित ब्रह्मचारी कार्तिकेय के मंदिर में महिलाऐं नहीं जा सकती हैं, वहां के पुजारियों का कहना है कि यदि महिलाएं मंदिर में जाएँगी तो कार्तिकेय भगवान नाराज हो जायेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर में भी महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। यहाँ के पुजारियों का तर्क तो बेहद हास्यास्पद है, वे मानते हैं कि इस मंदिर के तहखाने में यदि महिलाएं जाएँगी तो खजाने को बुरी नजर लग जाएगी, क्योंकि गहनों के प्रति उनकी आसक्ति होती है। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में भी औरतों का प्रवेश निषेध है।

महिलाओं को जिन मंदिरों, मस्जिदों या दरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, यदि आप उसके मूल कारण पर विचार करें तो यही पाएंगे कि उनके विचार से महिलाओं को मासिक धर्म होता है, वो बच्चे पैदा करती हैं, इसलिए पवित्र नहीं हैं। उन्हें भय है कि उनके प्रवेश करने से पवित्र स्थान अपवित्र हो जाएगा। जबकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म, शरीर के गर्भावस्था के लिए तैयार होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बहुत से पुरुषों की स्त्रियों के बारे में एक रूढ़िवादी सोच है कि महिलाएं कभी पुरुषों के बराबर नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही होती हैं। लेकिन महिलाएं इस सोच को झुठलाते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए न सिर्फ पुरुषों को कठिन चुनौती दे रही हैं, बल्कि लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में कई धार्मिक स्थलों पर महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय सफलता पाई है। साल 2015 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर गांव स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर में एक महिला श्रद्धालु द्वारा शनि महाराज को तेल चढ़ाने से बवाल मच गया था। कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को शनि प्रतिमा की पूजा करने से रोकने वाली 400 साल पुरानी प्रथा अंतत टूट गई।

इसी तरह से साल 2016 में लंबी कानूनी लड़ाई और विरोध प्रदर्शनों के बाद मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को पवित्र गर्भगृह में प्रवेश का पुरुषों के समान अधिकार मिला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार के आधार पर महिलाओं को दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। समानता, लैंगिक भेदभाव खत्म करने और संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए महिलाएं आज भी कठिन संघर्ष कर रही हैं।

निष्कर्ष

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के गहरे अर्थ हैं। अगर शीर्ष न्यायालय का यह मत अपने मूल अर्थों में धरातल पर उतर सका, तो हम एक नए बदलाव के गवाह बनेंगे। अदालत ने मंदिर में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपरक बंदिशों को संविधान के खिलाफ माना है। उसने कहा है कि जब संविधान महिला और पुरुषों में कोई भेद नहीं करता, तो फिर मंदिर के कर्ता-धर्ता भला यह कैसे कर सकते हैं?

मंदिर में प्रवेश महिलाओं का सांविधानिक और धार्मिक, दोनों अधिकार है। किसी भी धर्म में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, जिससे महिलाओं के दोयम दरजे के होने का बोध होता हो। हर जगह औरतों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बातें हैं। जब धर्म किसी तरह का अंतर नहीं करता, तो फिर आस्था के केंद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने इबादतगाह जाने की वे भी बराबर की अधिकारी हैं। रही बात ईश्वर की, तो वह सबके लिए समान है। वह भक्तों में कोई अंतर नहीं करता। कुछ यही तर्क संविधान को लेकर भी दिए जा सकते हैं। हमारा संविधान जाति-धर्म-लिंग आदि के आधार पर विभेद की कतई वकालत नहीं करता, इस तरह अगर कोई संस्था या व्यक्ति महिलाओं के विरूद्ध किसी तरह का भेदभाव करता है, तो वह संविधान की अवहेलना ही है।

हालांकि जरूरी यह भी है कि अधिकारों की यह बहस सिर्फ सबरीमाला तक ही सिमटी न रहे। देश भर में जहां कहीं भी औरतों के साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा हो, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे में, यह जिम्मेदारी संसद की बन जाती है कि वह जल्द ही इस तरह का कोई कानून बनाए कि हर जगह से भेदभाव खत्म हो सके। लोगों में यह संदेश जाना ही चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी तरह का कोई भेद स्वीकार्य नहीं है।

हमारा समाज महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। अच्छी बात है कि भारतीय संविधान इन तमाम भेदभावों से ऊपर है। उसने पहले ही औरतों और पुरुषों को समान माना है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का तो स्पष्ट मानना था कि "जिस देश में महिलाएं सम्मानित नहीं हैं और जहां उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है, वह देश कतई आगे नहीं बढ़ सकता।" संभवत: हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन का यह एक बड़ा कारण है। इसलिए जरूरी है कि अब धर्म के ठेकेदार पीछे हट जाएं और महिला-विरोधी बातों को समाज पर लादने की कोशिश न करें।

हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या समाज में गहरे पैठी यह महिला-विरोधी सोच सिर्फ कानून बनाने से खत्म हो पाएगी? नहीं कानून तभी कारगर हो सकता है, जब लोग उसको लेकर खुद संजीदा होंगे। देश में घरेलु हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेद-भाव/ छेड़खानी, बलात्कार तथा दहेज प्रथा को रोकने के लिए भी तो कानून बने हैं। मगर क्या ये बुराइयां खत्म हो गईं? नहीं। यानी सिर्फ कानून बनने ये हालात नहीं बदलते, लोगों को खुद आगे बढ़ना होता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पर है, जो जागरूक हैं और मानवाधिकार का समर्थन करते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

डिजिटलीकरण की राह और निजता की चिंता

प्र. बी.एन. श्रीकृष्णा समिति द्वारा लाया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल का मसौदा डेटा संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 के मुख्य बिंदु
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल की खामियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में बी.एन. श्रीकृष्णा समिति के द्वारा सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 का मसौदा सौंपा गया।

पृष्ठभूमि

- यह व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल व्यक्ति की निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है क्योंकि वर्ष 2017 में निजता को मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल-2018 के मुख्य बिंदु

- इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई कंपनी व्यक्ति के क्रिटिकल डेटा को प्रोसेस करती है तो वह केवल भारत में स्थित डेटा प्रोसेस एजेंसी द्वारा ही करा सकती है इससे अलावा डेटा लीक के उल्लंघन पर शीघ्र कार्यवाही न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बच्चों के डेटा को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल की खामियाँ

- इस बिल के मसौदे के आधार पर कुछ विशेषज्ञ इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ससंगत नहीं मानते हैं इसके साथ ही इसमें सूचना के अधिकार को भी कमजोर किए जाने का आक्षेप लगाया जा रहा है।

आगे की राह

- अभी यह बिल कानून नहीं बना है इसको कानून बनने में अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान इसमें वाजिव संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह बिल व्यक्ति को निजता की सुरक्षा हेतु मील का पत्थर साबित होगा। ■

समावेशी विकास व साझी संवृद्धिः जोहांसबर्ग घोषणा

प्र. हाल ही में संपन्न "ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक समावेशी और वैश्विक समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है।" इस कथन को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- ब्रिक्स घोषणापत्र के मुख्य बिंदु
- दक्षिण अफ्रीका द्वारा सुझाव
- ब्रिक्स की उपलब्धियाँ एवं महत्व
- ब्रिक्स और भारत
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका के जोहॉन्सबर्ग में 25-27 जुलाई, 2018 को संपन्न हुआ।
- इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गयी जिसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा निम्न देशों ने भी भाग लिया- रवांडा, यूगांडा, टोगो, जाम्बिया आदि।

पृष्ठभूमि

- ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वर्ष 2001 में इनवेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री 'जिम ओ नील' ने अपने ग्लोबल इकोनॉमी पेपर में किया था।
- इस पेपर में यह भी कहा गया कि ब्रिक्स अगले 50 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

ब्रिक्स घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

- ब्रिक्स देशों द्वारा जारी घोषणा पत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र रूख का आह्वान किया गया।
- ब्रिक्स देशों ने अपने घोषणापत्र में कहा कि आतंकी कृत्यों को अंजाम देने, उनके साजिशकर्ताओं या उन्हें मदद देने वालों को निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा सुझाव

- शांति कार्यों के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना।
- ब्रिक्स देशों में टीकाकरण के लिए टीका अनुसंधान केंद्र की स्थापना।

ब्रिक्स की उपलब्धियाँ एवं महत्व

- ब्रिक्स देशों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RECP) को मूर्त रूप दें।
- चौथी औद्योगिक क्रांति में कौशल व डिजिटल विकास का लाभ सभी देशों को मिलेगा।

ब्रिक्स और भारत

- ब्रिक्स ने अपने सदस्य देशों को अपनी-अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है।
- भारत वर्तमान समय में न केवल दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि पूरा विश्व भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है।

चुनौतियाँ

- आर्थिक मुद्दों को छोड़ दें तो ब्रिक्स के देशों के बीच बड़े मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है।
- साथ ही इस विषय पर भी स्पष्ट विचार नहीं है कि समुह में नए सदस्यों को कैसे और कब जोड़ा जाए।
- भारत और चीन के बीच सीमा विवाद।

आगे की राह

- ब्रिक्स संगठन के सभी सदस्य देशों की गिनती उभरती आर्थिक ताकतों में होती है।
- जोहॉन्सबर्ग में संपन्न हुई बैठक में इसी पर सहमति बनी है कि किन-किन देशों पर भरोसा करके ब्रिक्स देश आगे बढ़ें। ■

एनआरसीः नागरिकता की मुहर

प्र. असम में एनआरसी द्वारा प्रस्तुत किए गए अवैध आप्रवासियों की संख्या के निर्वासन की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उनके उचित समाधानों को सुझाइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- पृष्ठभूमि
- चुनौतियाँ
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में असम के लिए एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी किया गया इसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 40 लाख लोगों को अवैध आप्रवासी घोषित किया गया है। हालांकि उनके लिए सभी नागरिकता सिद्ध करने का अंतिम विकल्प कोर्ट के माध्यम से दिया गया है।

परिचय

- 1955 के सिटिजनशिप एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी। इसी के तहत असम का नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था। 1951 में इसके पश्चात अब इसे अद्यतन किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- असम में बांग्लादेशी आप्रवासियों की समस्या आजादी के बाद से लगातार बढ़ती गई है। 80 के दशक में आस्व नाम का एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ और वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत एनआरसी को अपडेट करने का प्रावधान किया गया।

चुनौतियाँ

- इस मसौदे के अंतिम परिणाम के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती 40 लाख व्यक्तियों के निर्वासन को लेकर उपजी है क्योंकि बांग्लादेश सरकार के साथ हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसमें बांग्लादेश इनको अपने देश में आने दे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासी कानून किसी भी व्यक्ति को राज्य रहित नहीं करने का हक देता है परिणामस्वरूप उनकी नागरिकता सिद्ध करना एक जटिल कार्य है।

समाधान

- सरकार को जल्द से जल्द बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता करना चाहिए जिस पर दोनों देश इस समस्या के लिए एक मत हो सकें। इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण से इनको निवास का हक भी दिया जा सकता है जब तक बांग्लादेश के साथ कोई हल नहीं किया जाता।

निष्कर्ष

- अद्यतन एनआरसी का प्रकाशन वास्तव में एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह असम में अवैध आप्रवासी की संख्या को बेवजह की अटकलों से मुक्त करती है जिसको कई राजनीतिक पार्टियाँ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थीं। अब सरकार को जल्द ही बांग्लादेश के साथ समझौता कर इस समस्या को सुलझाना होगा। ■

आरटीआई संशोधन विधेयकः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक-2018 को पेश किया है। सूचना के अधिकार का परिचय देते हुए यह बतायें कि यह संशोधन विधेयक आरटीआई कानून को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) क्या है?
- आरटीआई कानून का लक्ष्य
- आरटीआई की विशेषताएँ

- संशोधन विधेयक के पक्ष में तर्क
- विपक्ष में तर्क
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक-2018 को पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन और उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा तय करने का प्रावधान किया गया है।

सूचना का अधिकार अनिधियम क्या है?

- सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के तहत आवेदन करके कोई व्यक्ति किसी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकता है और उस विभाग के अधिकारी मांगी गई सूचना को उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते वह सूचना माँगने के तरीके की शैली में हो।

आरटीआई कानून का लक्ष्य

- इस कानून का लक्ष्य सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
- नागरिकों को डिस्क, टेप, विडियो कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटआॅउट के रूप में सूचना मांगने का हक है बशर्ते मांगी गई सूचना उस रूप में पहले से मौजूद हो।

आरटीआई की विशेषताएँ

- सूचना के अधिकार के तहत जमा किये गये आवेदन का उत्तर 30 दिनों के अंदर देना आवश्यक है अन्यथा प्रतिदिन देरी के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- इस कानून के तहत सरकारी निर्माण कार्यों का मुआयना भी किया जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- सरकार का कहना है कि वह पारदर्शिता और खुलेपन के लिए प्रतिबद्ध है।
- आरटीआई संशोधन विधेयक-2018 का उद्देश्य पूरे देश में प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

विपक्ष में तर्क

- आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बिल सूचना आयुक्त के कद को छोटा करने की कोशिश है।
- उनके अनुसार आरटीआई में संशोधन से वह मूल रूप से काफी कमजोर हो जाएगा।

चुनौतियाँ

- पुरानी कार्य-संस्कृति, पुरानी सोच, प्रशासनिक उदासीनता एवं बाबूशाही शैली में कार्य करनेवाले लोगों में इस एक्ट को लेकर काफी बेचैनी है।
- सूचना आयोग में भी अदालतों की तरह केसों का ढेर लगा रहता है। किसी केस की सुनवाई जल्दी नहीं हो पा रही है।

आगे की राह

- आरटीआई में संशोधन करने के बजाय व्याप्त व्यवस्था को सही और पारदर्शी बनाया जाय जिससे कि उसका क्रियान्वयन सही तरके से हो सके।
- देश में प्रभावी ढंग से जनलोकपाल कानून एवं व्हिसलि ब्लोवर्स सुरक्षा कानून लागू किये जायें। ■

अर्थ ओवर सूट डेः संसाधनों की लूट का मापक

प्र. अर्थ ओवर शूट डे क्या है? ग्लोबल फुट-प्रिंट संस्था के मुताबिक "मानव के अति उपभोगवादी प्रवृत्ति पृथ्वी के उपलब्ध संसाधनों को ही समाप्त करने की ओर अग्रसर है।" समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- अर्थ ओवरशूट डे क्या है?
- ग्लोबल फुट-प्रिंट की रिपोर्ट
- अर्थ ओवर शूट डे के कारण
- अर्थ ओवर शूट डे और भारत
- अर्थ ओवर शूट का प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- ग्लोबल फुट-प्रिंट नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक 1997 में अर्थ ओवरशूट डे 30 सितंबर को आया था लेकिन अब दो दशक बाद 2018 में अर्थ ओवर शूट डे 1 अगस्त को आया है।
- मानव ने एक साल के संसाधनों का इस्तेमाल कर 7 महीने में समाप्त कर दिया है।

अर्थ ओवर शूट क्या है?

- पृथ्वी 1 साल में जितने संसाधनों का उत्पादन करती है मानव उन संस्थाधनों का दोहन 7-8 महीनों में ही कर देता है।
- दरअसल अर्थ ओवर शूट डे उस तारीख को मनाया जाता है जब किसी एक साल में धरती द्वारा मनुष्यों के लिए पैदा किया गया- पारिस्थितिकीय संसाधनों और सेवाओं का उपभोग उस साल से पहले ही कर लिया जाता है अर्थ ओवर शूट डे कहलाता है।

ग्लोबल फुट-प्रिंट की रिपोर्ट

- ग्लोबल फुट-प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार जल, खनिज, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक तेजी से किया जा रहा है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में पृथ्वी एक वर्ष में जितना संसाधन पैदा करती है उसकी तुलना में मानव उन संसाधनों का 1.7 गुणा तेजी से खपत कर रहा है।

अर्थ ओवर शूट डे के कारण

- विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, विकसित देशों की समृद्ध उपभोग प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि, रेत और बजरी का अत्यधिक दोहन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई आदि की चर्चा करें।

अर्थ ओवर शूट डे और भारत

- अगर हम की बात करें तो भारत को वर्ष 2030 तक भारत जैसे ढाई देशों जितनी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।
- एक अनुमान के मुताबिक भारत में जल 70% प्रदूषित है और 2025 तक भारत पानी की भीषण कमी वाले देशों में शामिल हो जायेगा।

अर्थ ओवर शूट डे का प्रभाव

- जैसे दुनिया में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साफ पीने लायक पानी की मात्रा घट रही है, वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। नमी वाले क्षेत्र (वेटलैण्ड्स) समाप्त हो रहे हैं, खाद्यान्न की समस्या और विकराल हो रही है।
- आधी शताब्दी में ही पृथ्वी के अंधाधुंध दोहन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का दो-तिहाई हिस्सा नष्ट हो गया है।

आगे की राह

- मांग और उपभोग की बढ़ती इस खाई को पाटने के लिए ग्लोबल फुट-प्रिंट ने कुछ उपाय सुझाए हैं। जो निम्न हैं-
  - हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी साथ साथ ही हमें इस धारणा से बाहर निकलना होगा कि सब कुछ सरकार कर देगी।
- हमें संसाधनों का कम से कम उपभोग करना होगा जैसे जल, जमीन, जानवर तथा जंगल आदि अर्थात हमें जागरूक होना पड़ेगा। ■

एचआईवी एड्स नियंत्रणः माइल्स टू गो

प्र. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एचआईवी संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। एचआईवी एड्स का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किये प्रयासों का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- एचआईवी एड्स क्या है?
- मुख्य कारण
- वर्तमान स्थिति
- सरकारी प्रयास
- एचआईवी एड्स के रोकथाम में आने वाली चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2017 के बीच भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों, एड्स से होने वाली मौतों और एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
- वर्ष 2010 से 2017 के बीच भारत के अलावा कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैण्ड और वियतनाम में एचआवी संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई है।

एचआईवी एड्स क्या है?

- एचआईवी का अर्थ होता है ह्यूमन एम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। यह वो वायरस होता है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण होता है।
- एड्स का अर्थ होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एचआईवी के संक्रमण का उच्च या आखिरी अवस्था में होता है।

मुख्य कारण

- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से।
- किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान लेने से।
- किसी भी कटे, जले या त्वचा के उपरी घाव पर किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संपर्क में आने से।

वर्तमान स्थिति

- आँकड़ों के हिसाब से भारत में 2010 में जहाँ एचआईवी संक्रमण के नए मामलों की संख्या एक लाख 20 हजार थी, वहीं 2017 में इतनी बड़ी संख्या महज 88 हजार पर सिमट कर रह गई।
- एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 23 लाख से घटकर 21 लाख तक पहुंच गई।

सरकारी प्रयास

- गौरतलब है कि वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय सभा में भारत ने एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगले 5 सालों में इसके संबंध में तेजी से कार्यवाही करने और वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने का वचन दिया है।
- हाल ही में संसद द्वारा एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक 2017 पारित किया गया है।
- न्यायालय की कार्रवाई के तहत एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।

चुनौतियाँ

- जानकारी का अभाव, सामाजिक सारोकार नहीं, सरकारी खर्चे की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, निगरानी तंत्र की कमी आदि।

आगे की राह

- आम नागरिकों में इस रोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना होगा।
- सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त धन मुहैया कराये जिससे कि इस तरह की बिमारियों से निपटा जा सके।
- डॉक्टरों को इलाज के समय पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी तथा उस बीमारी के बारे में मरीजों को सही जानकारी देना होगा।
- समाज को एड्स पीड़ितों को अपनाना होगा जिससे कि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। ■

प्रार्थना का अधिकारः क्या केवल पुरूषों को उपलब्ध

प्र. "21वीं सदी होने के बाद भी भारत में कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर मुहर लगाते हैं।" सबरीमाला का उदाहरण देते हुए इस कथन की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है विवाद?
- सबरीमाला विवाद टाइम लाइन
- संविधान पीठ निम्न प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है
- सबरीमाला मंदिर एक परिचय
- भारत में धार्मिक लैंगिकता की स्थिति
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हर वर्ग का होता है और यहाँ कोई भी आ सकता है।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि धारा 25 सभी वर्गों चाहे वह पुरूष हो या महिला सबके लिए बराबर है।

क्या है विवाद?

- केरल के पत्थनमथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट की सह्याद्री की पहाड़ियों में सबरीमाला मंदिर स्थित है।
- महिलाओं के प्रवेश को लेकर इसके प्रबंधन समिति का कहना है कि रजस्वला होने की वजह से 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत शुद्धता बनाये नहीं रख सकती हैं।

सबरीमाला विवाद टाइम लाइन

- सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला कोई नया मामला नहीं है इसकी शुरूवात वर्ष 1991 में होती है।
- 7 मार्च, 2008 को न्यायाधीश एस. बी. सिन्हा तथा न्यायधीश वी. एस. सिरपुरकर की पीठ ने मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया।

संविधान पीठ निम्न प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है

- न्यायालय यह देख रही है कि-
  - क्या शारीरिक बदलाव के चलते महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा लिंग आधारित भेदभाव तो नहीं है?
  - क्या धार्मिक संस्था अपने मामलों का प्रबंधन करने की धार्मिक आजादी के तहत इस तरह के रीति, रिवाजों का दावा कर सकती है?

सबरीमाला मंदिरः एक परिचय

- केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम से करीब 175 किमी. दूर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की शृंखला सह्याद्रि के अंदरूनी हिस्से पर सबरीमाला मंदिर स्थित है।
- इस मंदिर का वास्तविक नाम सबरिमलय है। मलयालम भाषा में पर्वत को सबरीमाला कहा जाता है।

भारत में लैंगिकता की स्थिति

- समाज के धार्मिक वर्ग द्वारा आज भी स्त्री को अपवित्र, तिरष्कृत और दोयम दर्जे का समझा जाता है।
- भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं, जहाँ पर ये मान्यता है कि महिलाओं के आने से यह स्थान अपवित्र हो जाएगा।

निष्कर्ष

- मंदिर में प्रवेश महिलाओं का संवैधानिक और धार्मिक दोनों अधिकार हैं। किसी भी धर्म में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, जिससे महिलाओं के दोयम दर्जे होने का बोध होता हो। हर जगह औरतों को पुरूषों के समान अधिकार दिये जाने की बातें हैं। जब धर्म किसी तरह का अंतर नहीं करता, तो फिर आस्था के केंद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. 'मूव हैक' का शुभारंभ

नीति आयोग ने 02 अगस्त 2018 को वैश्विक मोबिलटी हैकथॉन-मूव हैक का शुभारंभ किया है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन में से एक होगा। भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन-मूव हैक का शुभारंभ किया गया है।

मूवहैक का उद्देश्य गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिए अभिनव, गतिशील और मापनीय समाधान लाना है। 21 वीं शताब्दी के नवाचार और आर्थिक विकास के संभावित चालकों के रूप में परिवहन और गतिशीलता उभर कर सामने आई है।

मुख्य तथ्य

- गतिशीलता सेवाओं को वितरित करने के लिए तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडल में वैश्विक परिवहन क्षेत्र को बदलने की क्षमता है।
- पैदल यात्री और व्यक्तिगत परिवहन से सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई तक की

गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह ग्रामीण और शहरी दैनिक जीवन को प्रभावित करती है।
- मूव हैक से अपेक्षाकृत गतिशीलता से संबंधित चुनौतियों के लिए अग्रणी और सरल समाधानों को सुलझाने की उम्मीद है और एकीकृत, अंत:स्थापित और आविष्कारशील वैश्विक समुदाय के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

हैकथॉन दो-स्तरीय

जस्ट कोड इटः प्रौद्योगिकी/उत्पाद/सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण में, नवाचारों के माध्यम से समाधान किया जाएगा।

जस्ट साल्व इटः अभिनव व्यावसायिक विचार या टिकाऊ समाधान प्रौद्योगिकी के माध्यम से गतिशीलता बुनियादी ढांचे को बदलना।

मूव हैक सभी देशों के नागरिकों के लिए खुला

मूव हैक सभी देशों के नागरिकों के लिए खुला है। इसके लिए पंजीकरण Https://www.movehack.gov.in पर किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन के शीर्ष तीस दल सिंगापुर की 1 और 2 सितंबर 2018 को यात्रा करेंगे, और इन्हें शीर्ष विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा सलाह दी जाएगी।

इसमें दलों को आकृति सुधार, व्यापार व्यवहार्यता, तकनीकी समाधान और ग्राहक लक्ष्यीकरण/विपणन सहित कई मापदंडों पर सलाह दी जाएगी। 5 और 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतिम दौर में सिंगापुर चरण के शीर्ष 20 दल भाग लेंगे। ■

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी एक्ट में संशोधन हेतु मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01 अगस्त 2018 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद केंद्र सरकार संशोधित बिल को मौजूदा संसद सत्र में ही पेश कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की शुरुआत में एससी-एसटी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए उन्हें निरस्त कर दिया था। इस फैसले के बाद इसके विरोध में देश भर में दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी की ओर से भी जल्द से जल्द अध्यादेश लाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इससे पूर्व आरोपों की डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई होगी। देशभर में ऐसे कई मामले देखे गये हैं जिनमें इस अधिनियम के दुरूपयोग हुआ है। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में जातिसूचक गाली-गलौच के 11,060 मामलों की शिकायतें सामने आई थी। इनमें से दर्ज हुई शिकायतों में से 935 झूठी पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि आरोपी सरकारी कर्मचारी है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, इसके लिए सक्षम अथॉरिटी की इजाजत अनिवार्य होगी। यदि वह आम नागरिक है तो उनकी गिरफ्तारी एसएसपी

द्वारा मंजूरी से होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गये। दलित नेताओं द्वारा भारत बंद का आह्वान भी किया गया तथा आगजनी की घटनाएं भी सामने आई।

दलित संगठनों की मांग

दलित संगठनों का कहना है कि इससे 1989 का अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रासंगिक नहीं रह जायेगा। इस एक्ट के सेक्शन 18 के तहत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। ऐसे में छूट दिए जाने पर अपराधियों के लिए बच निकलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा सरकारी अफसरों के खिलाफ केस में सक्षम अथॉरिटी भी भेद-भाव कर सकती है।

मामले की पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी सुभाष काशीनाथ महाजन के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस मामले में दो अन्य कर्मचारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस अधिकारी ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी से इजाजत मांगी तो इजाजत नहीं दी गई। इस पर उनके खिलाफ भी पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। काशीनाथ महाजन ने एफआईआर खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद काशीनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां एफआईआर हटाने का आदेश दिया गया एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया गया था। ■

3. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक–2018

लोकसभा ने 3 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक सदन में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक लोकसभा में 23 जुलाई 2018 खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा पेश किया गया था। यह राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करता है जिसे 31 मई 2018 को जारी किया गया था।

उद्देश्य

इस विधेयक में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोले जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला पूर्ण विकसित खेलकूद विश्वविद्यालय होगा। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य खेलकूद से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा सृजन करना है। विश्वविद्यालय देशभर में और भारत से बाहर भी दूरस्थ परिसर स्थापित करने के लिए सशक्त होगा। इसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों एवं इसके दूरस्थ कैंपसों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, खेलकूद पदधारियों, रेफरियों और अम्पायरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ■

4. विश्व स्तनपान सप्ताह

स्तनपान को बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला माना जाता है। प्रत्येक वर्ष स्तनपान की महत्ता को उजागर करने और इसके प्रति जागरूकता के लिए एक से सात अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सप्ताह का थीम- 'स्तनपान-जीवन की नींव' रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को मां का पहला दूध भारत में महज 44% बच्चों को ही मिल पाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के अनुसार जनपद सुलतानपुर में जन्म के एक घंटे के अंदर मात्र 33.9 प्रतिशत शिशु ही मां के गाढ़े पीले दूध का सेवन कर पाते हैं। मात्र 20.6 प्रतिशत बच्चे ही जन्म से 6 माह तक सिर्फ मां का दूध पीते हैं जबकि बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर मां का पीला एवं गाढ़ा दूध एवं जन्म से 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध, बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। स्तनपान बच्चे के शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर बच्चे को रोगों से बचाये रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्तनपान करने वाली माताएं स्तनपान नहीं कराने वाली माताओं से ज्यादा स्वस्थ रहती हैं।

गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो साल तक का समय यानी लगभग 1000 दिन ही बच्चे के सम्पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार माने जाते है। गर्भावस्था के दौरान माता का संतुलित एवं पोषक आहार बच्चे के पूर्ण मानसिक विकास में सहयोगी होता है। साथ ही बच्चे को जन्म के बाद होने वाले कुपोषण से भी बचाव करता है। बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन्म के एक घण्टे के भीतर मां का गाढ़ा पीला दूध, 6 माह तक सिर्फ माह का दूध एवं 2 साल तक स्तनपान कराना माता की जागरूकता का परिचायक है। एक जागरूक और स्वस्थ्य मां ही अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकती हैं। ■

5. रेलवे कर्मचारियों को नैतिकता की शपथ

सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक आचरण के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल कर्मचारियों के लिए मिशन सत्यनिष्ठा की शुरुआत की। इस मौके पर तमाम आला अफसरों और कर्मचारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया। उन्हें सत्यनिष्ठा के साथ काम करने की सलाह दी गई।

मिशन सत्यनिष्ठा

सरकारी सेक्टर में नैतिकता और सत्यनिष्ठा जैसे मुद्दे हमेशा ही चिंता का विषय रहे हैं। इस सन्दर्भ में रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान नैतिकता और सत्यनिष्ठा अति महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान कार्य में सत्यनिष्ठा के उच्च स्तर बनाये रखने पर चर्चा की गयी। इस विषय पर कार्यक्रम में चर्चा की गयी और भाषण दिए गये।

इस अवसर पर बोलते हुए रेलमंत्री ने कहा कि लोगों से संगठन का परिचय मिलता है और संगठन से लोगों का। अतः कार्य संस्कृति को बेहतर बनाते हुए उसमें पारदर्शिता लानी है। सूचनाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में भेजी जानी चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं से श्रजनात्मक सुझाव मिल सकें। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी प्रणाली में कार्य के प्रति रूचि का अभाव भी अनैतिक आचरण की तरह ही है। इसे भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार से कम न समझा जाए।

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे विषय शासन में चिंता का विषय रहे हैं। इस संदर्भ में यह बेहद जरूरी है कि सभी रेल कर्मचारी सदैव सही आचरण और सत्यनिष्ठा का पालन करें। मिशन सत्यनिष्ठा का शुभारंभ सभी रेल कर्मचारियों को कार्य में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का निर्वहन करते हुए नैतिकता का आचरण करने के प्रति जागरूक किया।

क्या है इस मिशन का उद्देश्य?

- व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के प्रति कर्मचारियों को जागरूक व प्रशिक्षित करना।
- सार्वजानिक जीवन में नैतिकता सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना।
- रेलवे में नैतिकता के महत्व के समझना।
- रेलवे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।
- आन्तरिक संसाधनों द्वारा आन्तरिक शासन में सत्यनिष्ठा लाना। ■

6. बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना

राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति (जैव ईंधन नीति) 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण उच्चाधिकार समिति की चतुर्थ बैठक में बायोफ्यूल नीति 2018 को प्रदेश में लागू करने को अनुमोदन किया।

भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 घोषित की गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 का उद्देश्य घरेलू स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन को बढ़ावा देना है। बायोफ्यूल नीति के तहत इसके उपयोग के प्रति आमजन को जागरूक करने एवं तैलीय बीजों का उत्पादन बढ़ाने के साथ उसके फायदों व मार्केटिग व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार जोर दिया जाएगा।

राजस्थान में बायोडीजल उत्पादन हेतु भारतीय रेलवे के वित्तीय सहयोग से राज्य में 8 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोडीजल उत्पादन सयंत्र की स्थापना की गई है।

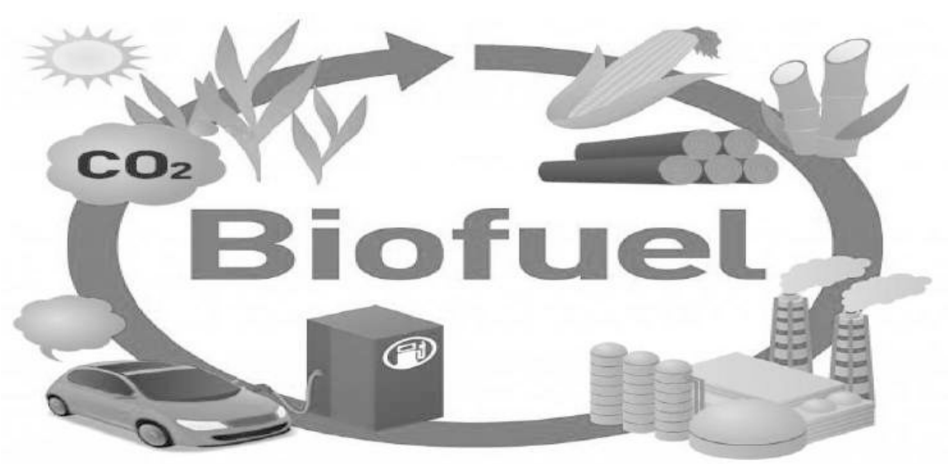

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में जैव ईंधनों को आधारमुक्त जैव ईंधनों यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोएथेनॉल और बायोडीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायोसीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।इस नीति में गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज (जैसे- गेहूं, टूटे चावल और सड़े हुए आलू) का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है। अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। ■

7. प्रथम 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक'

जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (bureau of energy efficiency- BEE) ने देश का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक (State Energy Efficeiency Preparedness Index) तैयार किया है। यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति को ट्रैक करने, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। ऊर्जा दक्षता सूचकांक इमारतों, उद्योग, नगर पालिकाओं, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण कंपनियों (discoms) जैसे क्षेत्रों के 63 संकेतकों पर आधारित है। ये संकेतक नीति और विनियमन, वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत प्राप्त करने जैसे मानकों पर आधारित हैं। BEE के अनुसार, ऊर्जा दक्षता भारत को 500 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत में मदद कर सकती है और 2030 तक 100 गीगावाट बिजली क्षमता की आवश्यकता को कम कर सकती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 557 मिलियन टन की कमी हो सकती है। इसके अन्य मापकों में विद्युत वाहनों (EVs) के माध्यम से भारत के विकास की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करना तथा विद्युत उपकरणों, मोटरों, कृषि पंपों तथा ट्रैक्टरों और यहाँ तक कि भवनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना शामिल है।

इस प्रकार का सूचकांक एक ऐसे देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो अमेरिका और चीन के बाद ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिणामों का सामना करने के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक है।

भारत सरकार ने, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के अंदर स्व-विनियम और बाजार सिद्धातों पर महत्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज

अमेरिकी और स्पेनिश वैज्ञानिकों ने एपेथीलियल कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज की है शरीर के कई अंगों के ऊपरी या बाहरी परत को ढकने वाले एपिथेलियल कोशिकाओं (cells) के बारे में नई जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एपिथेलियल कोशिकाएं स्क्यूटॉइड का आकार ले लेती हैं, जिससे कि ऊतक (टिश्यू) मुड़ सकें। स्क्यूटॉइड ऐसा ठोस ज्यामितीय आकार है, जिसका अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा जिस नये आकार की खोज की गई है उसे 'scutoid' का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने एपिथेलियल कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान कोशिका के नए आकार की खोज की। इस खोज से यह जानने में मदद मिलेगी कि कोशिकाएं शरीर के अंदर पूरी तरह से पैक 3डी संरचनाओं में खुद को कैसे व्यवस्थित रखती हैं और यही संरचनाएं शरीर में सुरक्षात्मक कवच का काम करती हैं।

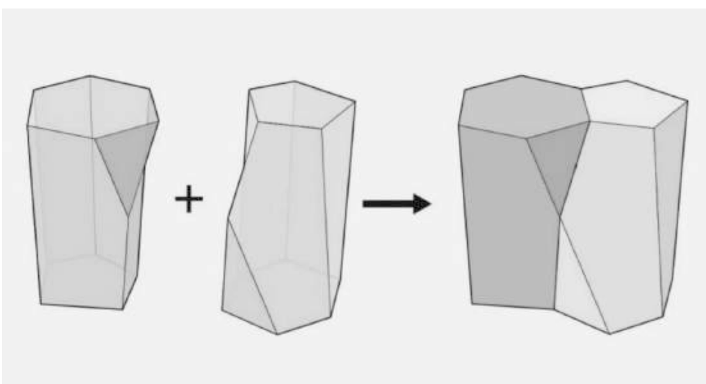

एपिथेलियल उत्तक उन चार उत्तकों में से एक है जो शरीर के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह मानव शरीर की सेल वॉल लाइनिंग का निर्माण करते हैं। स्कुटोइड के आकार में एक ओर 5 किनारे और दूसरी ओर 6 किनारे होते है, जबकि लम्बे किनारे की ओर त्रिकोणीय क्षेत्र होता है। वैज्ञानिकों ने इस आकार की पहचान करने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग व इमेजिंग की सहायता ली। इससे एक विशेष आकार उत्पन्न हुआ जो कुछ हद तक प्रिज्म की तरह लगता है।

खोज के लाभ

वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से पाया है कि जैसे-जैसे उत्तक और अंगों का निर्माण होता है, एपिथेलियल कोशिकाएं इकठ्ठा होती जाती हैं और यह घुमाव के साथ जटिल 3डी स्कुटोइड आकार में ढल जाती हैं।

यह मानव शरीर में माइक्रोब को प्रवेश करने से रोकती हैं। स्कुटोइड कोशिकाओं के खोज से इनके व्यवस्थित होने की प्रक्रिया का पता लगाना संभव हो पायेगा। इसके अलावा यह उत्तक इंजीनियरिंग के लिए भी काफी उपयोगी है, इससे कृत्रिम अंग निर्माण में सहायता मिलेगी।■

2. सौर मंडल के बाहर ग्रहों के एक समूह की खोज

ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों के एक समूह की पहचान की है जहाँ र ऐसी रासायनिक स्थितियां हैं जो शायद पृथ्वी पर जीवन का कारण बनी होंगी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी जैसे एक चट्टानी ग्रह की सतह पर जीवन के विकास की संभावनाएं हैं और इनका संबंध ग्रह के होस्ट स्टार से है। साइंस अडवांस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में दावा किया गया है कि पृथ्वी पर पहले पहल हुए जीवन के विकास की स्थिति की ही तरह तारों ने पराबैंगनी किरणों (यूवी) के प्रकाश को उसी तरह इन ग्रहों पर भी छोड़ा जिससे इन ग्रहों में भी जीवन की शुरुआत हो सकती है।

मुख्य तथ्य

- पृथ्वी पर यूवी प्रकाश से रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और इससे जीवन का निर्माण होता है।
- शोधकर्ताओं ने ऐसे कई ग्रहों की पहचान की है जहां उनके ''होस्ट स्टार'' से यूवी प्रकाश इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है और यह रहने योग्य सीमा के अंदर है। यहाँ ग्रह की सतह पर तरल पानी भी मौजूद हो सकता है।

- शोधकर्ताओं ने पाया कि धरती जैसे चट्टानी ग्रह पर जीवन के विकास की संभावनाओं का संबंध उस तारे से होता है जिसकी वह परिक्रमा करता है।
- ब्रिटेन में कैंब्रिज और मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी ऑफ मोलेक्युलर बायोलॉजी के शोधकर्ता पॉल रिमर ने कहा की यह अध्ययन हमें जीवन की तलाश के लिए बेहतर सम्भावनायें दिखाता है।
- हमारे सौरमंडल में इस ग्रह के समान कोई दूसरा ग्रह नहीं है और यह आज तक खोजे गए हजारों बाहरी ग्रह में से सबसे दुर्लभ है।
- इससे पहले हाल में वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रह खोजे थे जिनमें जीवन की संभावना को प्रबल बताया गया था। ■

3. सतत् शहरी विकास में सहयोग हेतु समझौता

भारत और जर्मनी ने 01 अगस्त 2018 को वित्तीय और तकनीकी सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में शहरी विकास पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। समझौता मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को प्राथमिकता देता है। यह समझौता ज्ञापन स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी गतिशीलता के प्रचार में सतत् शहरी विकास में सहयोग पर केंद्रित है।

महत्व

द्विपक्षीय समझौते से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी और इस तरह के उत्सर्जन को रोकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को भी सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि

दिसंबर 2017 में, जर्मनी ने भारत-जर्मन अंतर-सरकारी वार्ता के दौरान भारत के साथ विकास सहयोग के लिए लगभग 8,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि का वचन दिया था।

फरवरी 2018 में आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय और जर्मन विकास एजेंसी (जीआईजेड) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि शहरी बुनियादी सेवाओं और चुनिंदा शहरों में आवास और भारत के स्मार्ट शहरों में आवास प्रदान करने के लिए अवधारणाओं को विकसित किया जा सके। जीआईजेड परियोजना के लिए आठ मिलियन यूरो तक योगदान करने पर सहमत हो गया था जो तीन साल की अवधि के लिए बना रहेगा। कुल मिलाकर, वर्ष 2018 भारत और जर्मनी के बीच 60 वर्षों के द्विपक्षीय विकास सहयोग का परिचायक है। ■

4. UN के ई-गवर्नेंस इंडेक्स के टॉप 100 में शामिल हुआ भारत

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के टॉप-100 देशों में शुमार होने के बाद अब मोदी सरकार को दूसरी उपलब्धि हाथ लगी है। भारत ने ऐसी ही उपलब्धि अब संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस इंडेक्स में स्थान पाकर हासिल की है। गौरतलब है कि भारत बीते साल अक्टूबर महीने में ही ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के टॉप 100 देशों में शामिल हो गया था। यूनाइटेड नेशन के ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत बीते 4 साल के दौरान 22 अंकों की छलांग लगा चुका है जिसमें से 11 अंकों की छलांग तो उसने बीते दो सालों में ही लगाई है। साल 2014 में भारत इस इंडेक्स में 118 अंक पर काबिज था लेकिन वह अब ऊपर उठकर 96वें पायदान पर आ गया है। यह बताता है कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियां और नवाचार सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बदल रहे हैं। यह सर्वे जो कि हर दो साल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किया जाता है, बताता है कि भारत ने ई-पार्टिसिपेशन सब इंडेक्स में 100 फीसद स्कोर किया है, वहीं दूसरे चरण में इसने 95.65 फीसद और तीसरे चरण में 90.91 फीसद स्कोर किया है। इस श्रेणी में, भारत सब-रीजन के लीडर के रुप में उभरा है। गौरतलब है कि डेनमार्क ई-गवर्नेंस इंडेक्स और ई-पार्टिसिपेशन सब इंडेक्स दोनों के ही मोर्चे पर वर्ल्ड लीडर है। ■

5. हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले के 73 साल पूर

जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 73 वर्ष पूरे होने पर अगस्त को एक घंटी बजाकर उस दिन को याद किया गया जब विश्व का पहला परमाणु हमला हुआ था। साथ ही शहर के मेयर ने आगाह किया कि विश्व भर में बढ़ता राष्ट्रवाद शांति के लिए खतरा बन चुका है। हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क के ऊपर आज आसमान उसी तरह साफ था जैसे छह अगस्त, 1945 को था जब अमेरिकी बी-29 बमवर्षक ने बंदरगाह वाले इस शहर में सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए घातक परमाणु बम गिराया था।

इस हमले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। वार्षिक समारोह के लिए ग्राउंड जीरो के पास इस पार्क में खड़े होकर हिरोशिमा के मेयर कजुमी मात्सुई ने अपने वार्षिक संबोधन में एक ऐसे विश्व

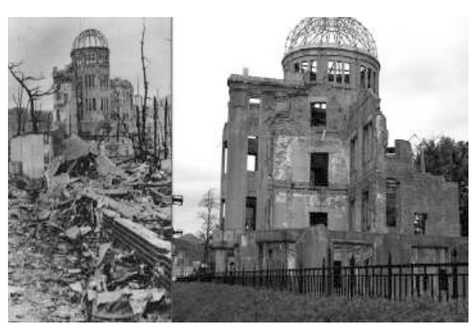

का आह्वान किया जो परमाणु रहित हो और बढ़ते राष्ट्रवाद के खतरे को लेकर भी आगाह किया। किसी खास देश का नाम लिए बगैर उन्होंने चेताया कि, "कुछ देश स्पष्ट तौर पर स्व-केंद्रित राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "वे फिर से वही तनाव पैदा कर रहे हैं जो शीतयुद्ध समाप्त होने के बाद खत्म हो गया था।" उन्होंने ऐसे वक्त में परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस मौके पर कहा कि जापान का उत्तरदायित्व परमाणु संपन्न और परामणु शस्त्र रहित राष्ट्रों के बीच के अंतर को पाटना है। आबे की सरकार ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया था। गौरतलब है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु हमले किए थे- पहला हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में। इन विस्फोटों में हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए थे। ■

6. भारतीय मूल के अक्षय समेत तीन को मिला 'गणित का नोबेल'

भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अक्षय वेंकटेश को "फील्ड्स मेडल" से सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। 36 साल के अक्षय को यह मेडल बुधवार को रियो डी जेनेरो में 'अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस' के दौरान दिया गया। फील्ड्स मेडल हर चार साल में 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। इस साल अक्षय के अलावा 3 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के तौर पर अक्षय को गोल्ड मेडल और 15 हजार कनाडाई डॉलर्स (करीब 7.87 लाख रुपए) दिए जाएंगे। उनसे पहले 2014 में मंजुल भार्गव ये सम्मान पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने थे। अक्षय का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। जब वे दो साल के थे, तभी उनके माता-पिता ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। अक्षय इस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 15 अगस्त से वे प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में कार्यभार संभालेंगे।

अक्षय का जीवन

- अक्षय की बचपन से ही गणित में रुचि थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलिंपियाड और मैथ्स ओलिंपियाड में मेडल हासिल किए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जहां से सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन के साथ ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ली थी। 16 साल की उम्र में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला लेने के बाद 22 साल तक उन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली थी। ■

7. संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक अभियान

संयुक्त राष्ट्र ने शांतिरक्षक अभियानों में भारत के बहुमूल्य योगदान के लिए उसकी सराहना की है। साथ ही शांति के लिए भारत के वर्दीधारी पुरुषों तथा महिलाओं की प्रेरणादायक सेवा के लिए उनकी तारीफ की। शांतिरक्षक अभियानों के लिए अवर महासचिव जीन पेरी लेक्रोइक्स ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक अभियान बेहद जटिल वातावरण में चलते हैं और हम भारत जैसे दृढ़ साझेदारों के आभारी हैं जो नई चुनौतियों के सामने खड़ा है और नागरिकों की रक्षा के हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखे हैं।'

संयुक्त राष्ट्र का जन सूचना विभाग (डीपीआई) संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा के 70 वर्ष पूरे होने पर यूएन 'पीस कीपिंग-सर्विस एंड सेक्रीफाइज' नाम से एक अभियान चला रहा है। इस अभियान का मकसद संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों के साथ ही उन देशों के प्रति आभार व्यक्त करना है जो कि शांतिरक्षक अभियानों में अपने वर्दीधारी पुरुष और महिलाओं को भेजते हैं। यह अभियान एक-एक देश को आधारित करके चलाया जा रहा है और इस सप्ताह यह भारत पर केन्द्रित है। भारत शांतिरक्षक अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और सबसे ज्यादा कर्मी यहीं के मारे गए हैं।■

सात ब्रेन बूस्टर्स

राष्ट्रीय विषाणु हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

क्या है प्रोग्राम

- 2030 तक देश से हेपेटाइटिस विषाणु का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- हेपेटाइटिस विषाणु से मुकाबला करने और उससे जुड़ी मृत्युदर और रूग्णतादर घटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस पहल के साथ सरकार 2030 तक हेपेटाइटिस विषाणु के उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
- सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुसार एड्स, तपेदिक (टीबी), मलेरिया जैसी बीमारियाँ, उपेक्षित शीतोष्ण कटिबंधीय बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, जल जनित बीमारियों एवं अन्य संक्रामक रोगों का 2030 तक सफाया किया जाना चाहिए।
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता प्रसारित करने लोगों को रोग के शीघ्र निदान, रोकथाम और हेपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है।

चर्चा में क्यों?

- इस कार्यक्रम से 5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को मिलेगा लाभ।
- इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय विषाणु हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया।
- 28 जुलाई, 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया।

हैपेटाइटिस क्या है

- यह संक्रामक बीमारियों का समूह है, जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाता है।
- हैपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये छूने मात्र से फैल जाता है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को यह रोग होने पर उसे बिल्कुल अलग रखने की जरूरत नहीं होती है।
- हैपेटाइटिस यकृत की सूजन है, जिसे यकृत के ऊतकों में सूजन वाली कोशिकाओं की मौजूदगी से पहचाना जाता हैं।
- हैपेटाइटिस एक्यूट और क्रोनिक दो प्रकार का होता हैं। एक्यूट हैपेटाइटिस की अवस्था तब होती हैं, जब यह कम से कम छह महीनों तक रहता है। क्रोनिक हैपेटाइटिस की अवस्था तब होती हैं, जब यह लंबे समय तक बना रहता है।
- भारत में, हैपेटाइटिस के महामारी वाले रूप का सबसे महत्वपूर्ण कारण हैपेटाइटिस ई वायरस (एचईवी) है तथा हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) बच्चों में होना सामान्य है।

बचने के उपाय

- हेपेटाइटिस के खिलाफ अपना प्रतिरक्षण अवश्य करवाएँ।
- कम वसा और उच्च रेशा युक्त आहार का सेवन करें। अपने आहार में फल, सब्जियों और साबुत अनाजों को शामिल करें।
- अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें।
- कम कैलोरी और गैर दुग्ध उत्पादों का सेवन करें।
- अल्कोहल, तंबाकू और नशीली दवाओं से बचाव करें।
- संतृप्त वसा से बचें।
- तनाव से बचें।

डीप ओशन मिशन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन (डीओएम) की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सफल कार्यों का अनुकरण करते हुए, सरकार ने महासागर के गहरे कोनों का पता लगने के लिए 8 हजार करोड़ रुपए की लागत से पांच वर्षों के लिए यह योजना तैयार की है।

पृष्ठभूमि

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. राजीवन ने 30 मई, 2017 को इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की थी।
- वर्ष 1987 में भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का मौका मिला था।
- भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन व अन्वेषण के लिए पर्याप्त क्षेत्र दिया गया था।

सागरीय संपदा

- संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स (पीएमएन) के दोहन के लिए भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर की साइट आवंटित की गई है।
- ये पीएमएन लोहे, मैंगनीज, निकिल और कोबाल्ट से युक्त समुद्र तल पर बिखरी हुई चट्टानें हैं।
- अनुमान लगाया गया है कि मध्य हिंद महासागर में समुद्र के तल पर 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमेटालिक नोड्यूल उपलब्ध हैं।
- इस बड़े रिजर्व की 10 प्रतिशत प्राप्ति से अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
- भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है।

मिशन क्या है?

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना के अनुसार, इस योजना में अन्य पहलुओं के साथ ही गहरे समुद्री खनन, पनडुब्बियों, पानी के नीचे रोबोटिक्स और महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से सागरीय संपदा का दोहन व अन्वेषण किया जायेगा।
- इस मिशन की शुरूआत से समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति और बेहतर होगी।

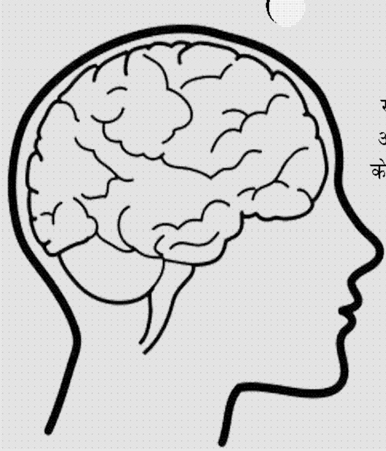

ब्लॉकचेन तकनीकी और नकली दवायें

ब्लाकचेन क्या है

- इस तकनीकी के तहत एक बार लेनदेन प्रमाणित हो जाता है और ब्लॉक में संरक्षित हो जाता है तो इस जानकारी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है।
- इसमें महत्वपूर्ण डेटा ब्लॉक के अंदर संरक्षित किये जाते हैं।
- ब्लॉकचेन एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल खाता है जो डेटा को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रिकार्ड और स्थानांतरित करता है।

वर्तमान चिंतायें

- वैश्विक स्तर पर नकली दवाओं के प्रयोग के कारण हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं।
- दवाओं की एकीकृत, उत्कृष्ट लेबलिंग और पहचान की कमी एक प्रमुख चिंता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं में से 20 प्रतिशत नकली हैं।

भारत का फार्मा मार्केट

- दवा उत्पादन के मामले में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- कई देशों में निर्यात के साथ भारत जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।

चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक दुनियाभर में बिकने वाली नकली दवाओं का 35 प्रतिशत भारत से आता है।

सरकारी पहल

- नीति आयोग ने भारत में उत्पादित दवाओं के पूरे स्टॉक को ब्लॉकचेन तकनीकी से जोड़ने की योजना बनाई है।
- सरकार इस तकनीकी के एण्ड टू एण्ड कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे निर्माता से उपभोक्ता तक दवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- पहले चरण में यह दवा कंपनियों स्टॉकिस्ट, फार्मासिस्ट और उपभोक्ताओं को इसमें जोड़ेगा, वहीं दूसरे चरण में सरकार दवा वितरण के रिकार्ड को इस तकनीकी से जोड़ेगी।
- प्रत्येक दवा को एक अद्वितीय पहचान संख्या आवंटित की जाएगी जिससे पूरे आपूर्ति शृंखला के दौरान इसे ट्रैक किया जा सकता है।
- सरकार दवाओं के उत्पादन के जीवन इतिहास को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेंटी फिकेशन (RFID) पर विचार कर रही है।

महत्व

- निर्माण से लेकर बिक्री के बिंदु तक ब्लॉकचेन द्वारा संचालित प्रणाली से दवा वितरण के प्रत्येक स्तर का डिजिटल रिकॉर्ड होगा।
- इससे सरकार नकली दवाओं को आपूर्ति शृंखला में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम होगी।
- यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सही दवाएँ बेची जाएंगी नकली दवायें नहीं।

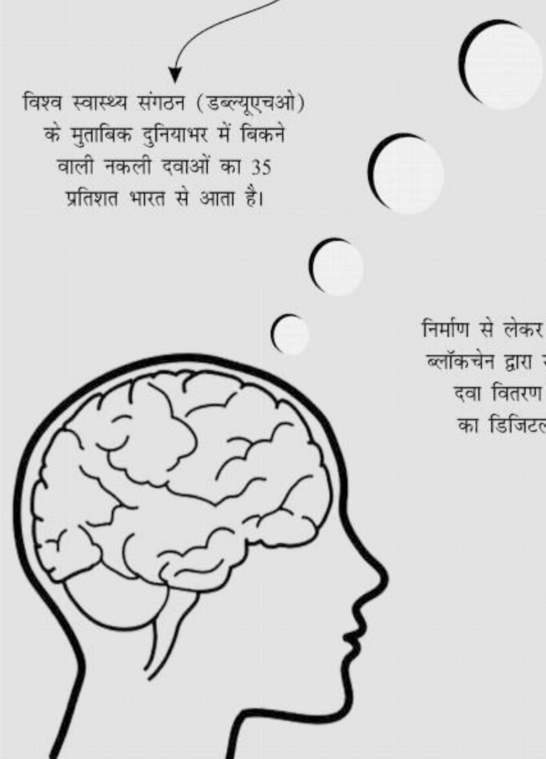

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों?

- इस बिल के द्वारा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है।
- लोकसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी। यह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2018 का स्थान लेगा। इस बारे में 18 मई को अध्यादेश लागू किया गया था।

जरूरत क्यों

- इससे देश में होम्योपैथी कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने में सरकार की भूमिका सुनिश्चित होगी।
- होम्योपैथी के अवैध कॉलेज और अस्पताल साथ-साथ चलाये जा रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में कानून बनाना जरूरी है।
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक को होम्योपैथी शिक्षा के नियमन एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रमुख तथ्य

- विधेयक के तहत केंद्र सरकार को परिषद की जगह संचालन मंडल के गठन का अधिकार दिया गया है।
- इसके अलावा यह नये होम्योपैथी कॉलेजों की स्थापना, पुराने कालेजों में सीटे बढ़ाने तथा नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है।
- सरकार द्वारा आयुष की सभी प्रणालियों आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्ध और होम्योपैथी के नियमन और विकास के लिये एक नया अधिनियम लाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
- देश में एक करोड़ से ज्यादा लोग होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर हैं।
- हमारे देश में होम्योपैथी की 4,000 से अधिक दवाइयाँ मिलती है जो सस्ती भी होती हैं।
- करीब 80 देशों ने इसे वैकल्पिक औषधि के तौर पर मान्यता दी है।

कारण

- विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि परिषद में गंभीर कदाचार के मामले मिले हैं जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।
- केंद्र सरकार द्वारा परिषद के कार्यकलाप को कारगर बनाने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

विदेशी प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों?

- ग्रिस के मुताबिक इनमें कई प्रजातियाँ दूसरे देशों के न केवल पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रही हैं।
- आईयूसीएन ग्रिस के मुताबिक इन 6414 विदेशी प्रजातियों का पाँचवां हिस्सा दूसरी स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है।
- इस सूची में विश्व के 20 देशों में पायी गयी 6414 विदेशी प्रजातियों की सूची बनायी गयी है। ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो अपने मूल स्थान से बाहर जाकर वहां के वातावरण में रच-बस गयी हैं।
- हाल ही में ग्रिस अर्थात ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इनवैसिव स्पेशीज (Global Register of Introduced and Invasive Species: GRIIS) द्वारा देशवार विदेशी जंतुओं व पादप प्रजातियों की प्रथम वैश्विक सूची जारी की गई है।

विदेशी प्रजातियाँ क्या हैं?

- जानबूझकर या अनजाने में एक प्राकृतिक प्रदेश से दूसरे प्राकृतिक प्रदेश में आई नई प्रजातियाँ जो अपने नए पर्यावरण में सफलतापूर्वक अनुकूलन और पुररूत्पादन करने लगती हैं।
- विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशी प्रजातियाँ तब आक्रामक हो जाती हैं जब उन्हें अनजाने में या जानबूझकर उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर किसी अन्य पराये क्षेत्र में लाया जाता है। ये विदेशी प्रजातियाँ स्थानीय प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती हैं और पारिस्थितिकीय संतुलन को अस्थिर कर देती हैं।

भारत की स्थिति

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ माह पूर्व भारत में रहने वाली उन प्रजातियों की सूची जारी की थी जो विदेशी हैं और हमलावर भी। इनकी संख्या 157 है।
- इन 157 प्रजातियों में 58 जमीन और ताजा जल पर्यावासों में पायी जाती हैं जबकि 99 सागरीय पारितंत्र में पायी जाती हैं।
- भारत प्राकृतिक पौधों की प्रजातियों के 'हॉटस्पॉट' में दुनिया के सात प्रमुख क्षेत्रों में से एक है तथा यहाँ सबसे अधिक संख्या में आक्रामक प्रजातियाँ हैं।
- हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के लिए बेहद अनुकूल हैं।

भारत में कुछ विदेशी प्रजातियाँ

- पाराकोकस मार्गीनेटस मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका की प्रजाति हैं तथा ये पश्चिम बंगाल, असम एवं तमिलनाडु में पपीता के फलों को बड़े पैमाने पर बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी है।
- फेनाकोकस सोलेनोप्सिस उत्तरी अमेरिकी मूल की प्रजाति है परंतु दक्कन में कपास के पौधों को इसने क्षति पहुंचायी है।
- हमलावर विदेशी मत्स्य प्रजातियों में प्टेरीगोप्लिचथाइसस पारदालिस कोलकाता की आर्द्रभूमि में मछली की आबादी को कम कर रही है।
- अचातिना फुलिका को सभी विदेशी हमलावर जंतुओं में सर्वाधिक हमलावर माना जाता है। यह एक मोलस्का है। आज यह देश के सभी हिस्सों में देखा जा सकता है।

क्या है GRIIS

- इसका विकास आईयूसीएन एसएससी इनवैसिव स्पेशिज स्पेशियलिस्ट ग्रूप (आईएसएसजी) द्वारा 2006 में अवधारणा व प्रोटोटाइप के रूप में किया गया। बाद में जैव विविधता संरक्षण से जुड़े आईची लक्ष्य-9 (जापान) से इसके उद्देश्यों को जोड़ दिया गया।
- आईची लक्ष्य-9 के अनुसार वर्ष 2020 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उनका नियंत्रण किया जाये या उन्मूलन किया जाये। साथ ही ऐसे उपाय किये जाये जिससे कि ऐसी प्रजातियाँ कहीं और नहीं जा सकें।

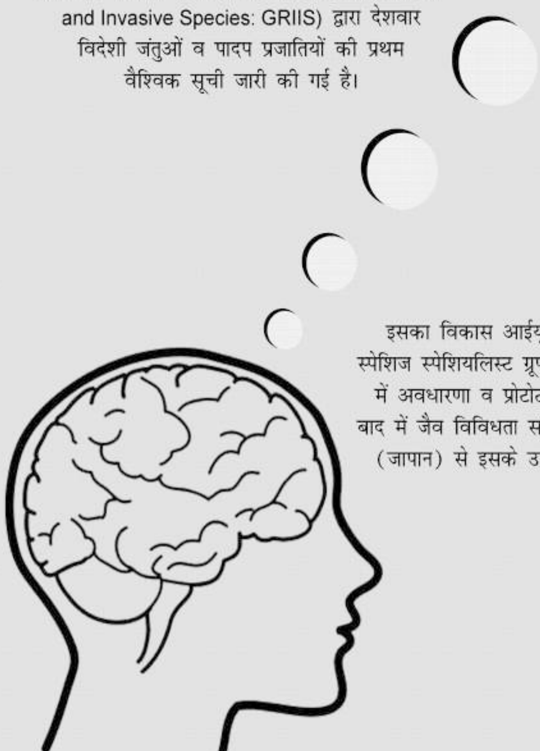

ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट

चर्चा में क्यों?

ऑनलाइन शॉपिंग को रेग्युलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- अब सरकार ई-कॉमर्स सेक्टर में ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निपटारे, एफडीआई, डेटा स्टोरेज और छोटे उद्योगों के विलय के मुद्दों पर नियम बनाना चाहती है।
- यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में कानूनी अनिश्चितता खत्म हो जाएगी।
- इसी के चलते विदेशी कंपनियाँ भारत में भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं।
- भारत में ई-कॉमर्स का कारोबार सालाना 51 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।
- भारत में ई-कॉमर्स का मार्केट 1 लाख 71 हजार करोड़ रुपए (25 अरब डॉलर) है। अगले दशक में इसके 13 लाख 72 हजार करोड़ रुपए (200 अरब डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है।
- आज भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए वॉलमार्ट, ऐमजॉन और रिलायंस रिटेल में होड़ जारी है, लेकिन इस कारोबार के प्रसार के साथ गलत उत्पादों की आपूर्ति और अन्य अनुचित व्यापार-व्यवहार को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं।

ड्राफ्ट की प्रमुख बातें

- ड्राफ्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा ऑनलाइन बिक्री कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के आंकड़े भारत में ही रखने पड़ेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन आंकड़ों तक सरकार की पहुंच होगी।
- ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले भारी डिस्काउंट पर नजर रखने की जरूरत है और इसे एक निश्चित तारीख के बाद बंद किया जाए।
- कहा गया है कि ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके दायरे में स्विगी और जोमैटो जैसी फूड डिलिवरी साइट्स, अर्बन क्लैप जैसे सर्विस एग्रिगेटर्स और पेटीएम और पॉलिसीबाजार जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली साइटों को शामिल किया जाएगा।
- नए नियमों के मुताबिक, किसी सामान के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना या झूठे ग्राहकों के जरिए समीक्षा लिखवाना अनुचित वाणिज्यिक गतिविधि के दायरे में आएगा।
- कोई सामान जाली निकलता है या उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती तो इसकी जवाबदेही ई-कॉमर्स कंपनी और विक्रेता, दोनों की होगी।
- अभी तक कंपनियाँ यह कहकर निकल लेती थीं कि वे सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं, सामान की गुणवत्ता को लेकर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आगे वे इतने सस्ते में नहीं छूट पाएंगी।
- एक रेग्युलेटर की नियुक्ति होगी।
- भारत डेटा भंडारण और अपने घरेलू भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए क्षमता विकसित करने के लिए भी कदम उठाएगा।
- सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के लिए भारत में संग्रहीत डेटा तक पहुंच होगी। हालांकि ये पहुंच निजता के अधिकार और सहमति के आधार पर होगी।
- रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में सुझाए गए कुछ उपायों में लोकल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए घरेलू कार्ड पेमेंट नेटवर्क RuPay के उपयोग को अनिवार्य करना और ऑनलाइन रिटेल में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी को बढ़ाना शामिल हैं।

उद्देश्य

- उपभोक्ता सुरक्षा
- शिकायतों का निपटारा
- डेटा का स्थानीय स्टोरेज
- लघु और मध्यम उद्योगों के विलय और अधिग्रहण से जुड़े मामलों की देखरेख व विवादों का निपटारा करना।

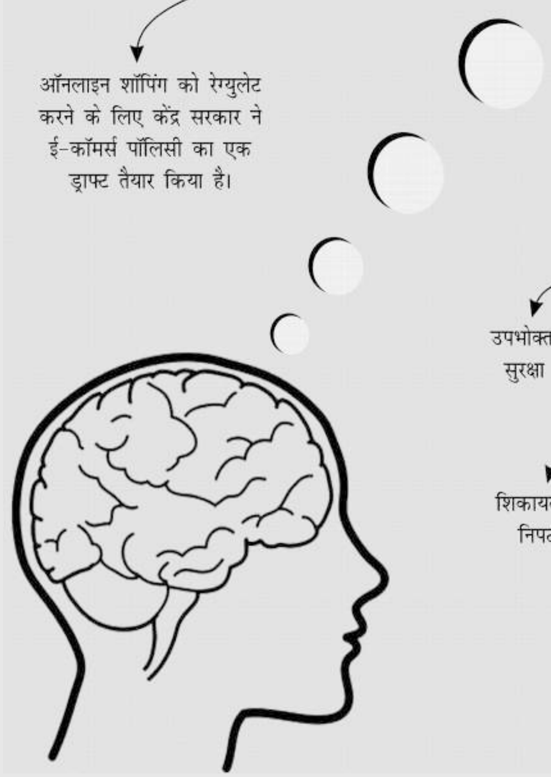

विश्व टाइगर दिवस

चर्चा में क्यों?

दुनिया भर में बाघों की घटती संख्या को लेकर विश्व टाइगर दिवस अभियान की शुरुआत की गयी। बाघों की घटती संख्या और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- शिखर सम्मेलन ने 2022 तक टाइगर आबादी को दोगुना करने के उद्देश्य से बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी की थी।
- टाइगर बिल्ली वर्ग के जानवरों में सबसे बड़ा होता है। यह नारंगी रंग का होता है तथा इसके शरीर पर काली पट्टियाँ पायी जाती हैं।
- पिछली शताब्दी में शिकार जलवायु परिवर्तन सहित कई कारकों के कारण सभी जंगली बाघों की 97% जनसंख्या खत्म हो गयी थी।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार, दुनिया में केवल 3,890 बाघ बचे हैं, उनमें से 2500 से अधिक बाघ भारत में हैं।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने भी टाइगर को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किये। भारत में 1974 में जब 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया तब बाघों की आबादी 1800-2200 थी
- 2014 के जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 2226 बाघ है। वहीं विश्व में लगभग 3,200 बाघ ही बचे हैं।
- देश में कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बाघों की संख्या बढ़ी है। इसके बावजूद भारत अभी भी 2002 के 3,700 के आंकड़े को छू नहीं पाया है।

वर्तमान स्थिति

- 50 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में बनाए गए हैं।
- 2.2 फीसदी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र इसके अंतर्गत है।
- 90 हजार वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बाघ पाए जाते हैं।
- 1410 जंगली बाघ 2006 में देश में मौजूद थे।
- 2010 में जंगली बाघों की संख्या 1701 हुई।
- 2,226 बाघ 2014 में प्राकृतिक वातावरण में रहते थे।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला देश है।
- यह संख्या जहां देश के लिये गौरव की बात है, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध शिकार, घटते वन क्षेत्र और विकास परियोजनाओं से बाघों के प्राकृतिक वास स्थान का अतिक्रमण हो रहा है जिससे निपटने की आवश्यकता है।
- बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक वार्षिक उत्सव है।

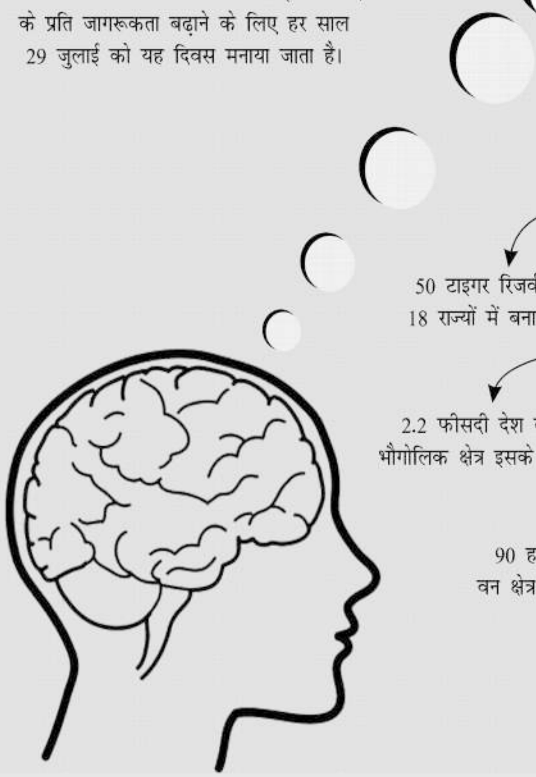

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. राष्ट्रीय विषाणु हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. विश्व हैपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है।
2. हैपेटाइटिस का भारत में 2030 तक उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विषाणु हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
3. सतत विकास लक्ष्य (SDG), वर्ष 2025 तक हैपेटाइटिस का उन्मूलन करने को कहता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः कथन 1 व कथन 2 सही हैं। सतत विकास लक्ष्य (SDG) एड्स, तपेदिक (टीबी), मलेरिया जैसी बीमारियाँ, उपेक्षित शीतोष्ण कटिबंधीय बीमारियों, हैपेटाइटिस, जल जनित बीमारियों एवं अन्य संक्रामक रोगों का उन्मूलन वर्ष 2030 तक करने को कहता है। ■

2. डीप ओशन मिशन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. 'डीप ओशन मिशन' केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
2. 'डीप ओशन मिशन' हिंद महासागर की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर 10 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः कथन 1 सही है। डीप ओशन मिशन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह मिशन गहरे समुद्री खनन, समुद्रों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, पानी के नीचे के सागरीय संसाधनों का अन्वेषण तथा इन सब कार्यों में रोबोटिक्स व प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया है। अतः कथन 2 गलत है। ■

3. ब्लॉकचेन तकनीकी और नकली दवायें

प्र. कथन (A): भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं में 20 प्रतिशत दवायें नकली हैं।

कारण (R): भारत जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है।

कूटः

(a) कथन (A) व कारण (R) दोनों सही हैं। कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(b) कथन (A) व कारण (R) दोनों सही है। कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन (A) सही है, कारण (R) गलत है।

(d) कथन (A) व कारण (R) दोनों गलत है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में बिकने वाली नकली दवाओं का 35 प्रतिशत भारत से आता है। इसके अलावा भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं में से 20 प्रतिशत भाग नकली है। भारत जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है तथा कई देशों में यहाँ से दवाओं का निर्यात किया जाता है। ■

4. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. होम्योपेथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 केंद्रीय होम्योपेथी परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा।
2. यह विधेयक नये होम्योपेथी कालेजों की स्थापना के लिये केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1, 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः दोनों कथन सही हैं। होम्योपेथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 केंद्रीय होम्योपेथी परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। विधेयक के तहत केंद्र सरकार को परिषद की जगह संचालन के गठन के अधिकार दिया गया है। यह विधेयक होम्योपेथी कालेजों की स्थापना, पुराने

कालेजों में सीटें बढ़ाने तथा नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है। ■

5. विदेश प्रजातियाँ

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. आईची लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2020 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन पर नियंत्रण किया जायेगा।
2. पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस (Parthenium hysterophorus) यानी 'कपासी घास' एक हमलावर विदेशी पादप प्रजाति है यह कृषि एवं जैवविविधता को नुकसान पहुँचाने के लिए जानी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः दोनों कथन सही हैं। आईची लक्ष्य का संबंध जैव विविधता पर दबाव कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है। नगोया सम्मेलन के दौरान वर्ष 2011-2020 के लिए जैव विविधता कार्ययोजना को स्वीकार किया गया था। इसमें आईची लक्ष्यों का भी उल्लेख है। आईची लक्ष्य में मुख्य रूप से 5 रणनीतिक लक्ष्य हैं-

1. जैव विविधता नुकसान के कारणों को समझना, 2. जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और सतत् उपयोग को बढ़ावा देना 3. पारितंत्र, प्रजातियों एवं अनुवंशिक विविधता की सुरक्षा कर जैव विविधता स्थिति में सुधार लाना, 4. जैव विविधता एवं पारितंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्द्धन करना, 5. साझीदारी नियोजन, ज्ञान प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के द्वारा क्रियान्वयन में वृद्धि करना।

6. ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट

प्र. सरकार द्वारा ई-कॉमर्स पॉलिसी पर लाये गये ड्राफ्ट के सम्बन्ध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं?

1. ऑनलाइन शॉपिंग को रेगुलेट करने के लिए यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
2. फ्लिपकार्ट जैसी खुदरा ऑनलाइन बिक्री कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के आंकड़े भारत में ही रखने होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार की इन आंकड़ों तक पहुँच होगी।
3. सामान जाली निकलने पर जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनी की नहीं होगी। इसके लिए सामान का विक्रेता जिम्मेदार होगा।

कूटः

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः कथन 1 व 2 सही हैं। सामान जाली निकलने अथवा खराब गुणवत्ता का होने पर जिम्मेदारी ई-कॉमर्स कंपनी और विक्रेता दोनों की होगी यह बात ड्राफ्ट में कही गई है। अभी तक ऐसी शिकायतों पर ई-कॉमर्स कंपनियाँ यह कहकर बच जाती थीं कि वह केवल प्लेटफार्म मुहैया कराती है। ■

7. विश्व टाइगर दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. 'विश्व टाइगर दिवस' हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है।
2. भारत में वर्ष 1974 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ।
3. वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं।
4. प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी द्वारा चलाया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2, 4 (b) 1, 3, 4
(c) 3, 4 (d) 1, 2, 3, 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः चारों कथन सही हैं। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस की स्थापना 2010 में सेंटपीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में हुई थी। भारत सरकार ने टाइगर संरक्षण के लिये वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्वो में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी (NTCA) द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह लड़ाकू विमान जिसने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर 'डेक लैंडिंग' का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

   - *तेजस*

2. जिस राज्य सरकार ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मूंजरी दे दी है।

   - *जम्मू-कश्मीर सरकार*

3. जिस मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए देश में 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की जरूरत है।

   - *कानून मंत्रालय*

4. इन्हें हाल ही में वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है।

   - *गोपालकृष्ण गांधी*

5. विश्व की सबसे बड़ी किंग पेंगुइन की कॉलोनी इस देश में है जहां यह 35 वर्षों में 88 फीसद तक सिकुड़ी है।

   - *ब्रिटेन*

6. वह देश जिसने अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में शिकायत दर्ज कराई गई है।

   - *ईरान*

7. उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले में 300 करोड़ रुपये की लागत वाले इस सिंचाई बांध परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया।

   - *रुकुरा मध्यम*

सात महत्वपूर्ण सूचकांक

क्र.सं.	इंडेक्स	संबंधित संस्थाएँ	सर्वोच्च	निम्नतम	भारत की स्थिति (2018)	भारत की स्थिति (2017)
1.	एंड ऑफ चाइल्डहुड सूचकांक-2018	सेव द चिल्ड्रन	सिंगापुर	नाइजर	113वाँ	116वाँ
2.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2018	यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा	यूएसए	वेनेजुएला	44वाँ	43वाँ
3.	वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक-2018	द इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट (इआइयू)	नार्वे	उत्तर कोरिया	42वाँ	32वाँ
4.	वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2018	येल यूनिवर्सिटी, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम	स्वीट्जरलैण्ड	बुरूण्डी	177वाँ	141वाँ
5.	वैश्विक भूख सूचकांक-2017	इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआइ)	(14 देश प्रथम स्थान पर) *	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	100वाँ	97वाँ
6.	वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक-2017	वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)	आइसलैण्ड	यमन	108वाँ	87वाँ
7.	वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक-2018	वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)	स्वीट्जरलैण्ड	यमन	40वाँ	39वाँ

*** बेलारूस, बोस्निया, चिली, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लाटविया, लिथुआनियाँ, मोन्टिनेग्रो, स्लोवाक गणराज्य, तुर्की, यूक्रेन एवं उरूग्वे।**

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. संविधान द्वारा 'आरक्षण' की कल्पना सामाजिक न्याय के साधन के रूप में की गई थी, किंतु वर्तमान में इस विचार में बदलाव आया है। आलोचनात्मक टिप्पणी करें।

2. यूरोपीय इतिहास को बदलने में वियना कांग्रेस के महत्व को समझाइये।

3. भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने में घरेलू कारक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाल में पाकिस्तान में हुए राजनैतिक बदलावों का इन सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें।

4. एकल होते भारतीय परिवारों में बुजुर्ग महिलायें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जांच करें।

5. दवाओं पर सीधा प्रतिबंध लगाना देश की स्वास्थ्य समस्याओं का हल नहीं है। आक्सीटोसिन के निर्माण व बिक्री पर हाल में लगे प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी करें।

6. ब्रिक्स के मुद्दे दो भागों में बटे हैं। पहला, ब्रिक्स देशों के बीच के मुद्दे। दूसरा, वैश्विक शासन को लेकर मुद्दे। पहले को लेकर उल्लेखनीय काम किया गया है परंतु दूसरे को लेकर नगण्य। ब्रिक्स के हाल के जोहन्सबर्ग शिखर सम्मेलन के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा करें।

7. श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा प्रदत्त डेटा संरक्षण मसौदा विधेयक नागरिकों की उनकी डेटा की गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को दूर करने की अच्छी कोशिश करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

EDGE *for* IAS

Dhyeya Student Portal

FREE ***REGISTRATION***

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और **Ethics case study** ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येय IAS
DSP EDGE

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA-KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**